जलांचल में ग्राम कोष आंदोलन

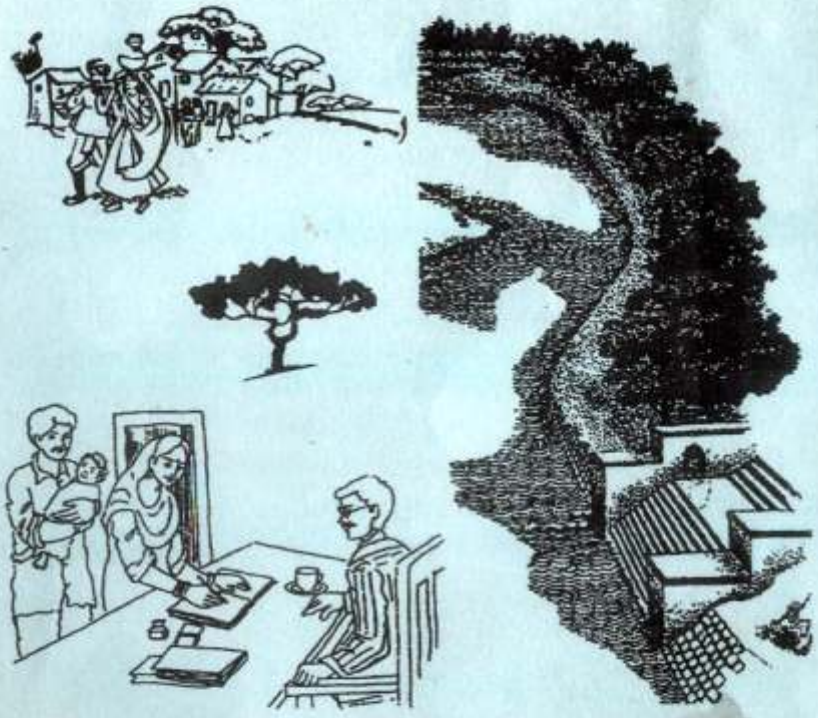

S.S.V.K. जे०पी० ग्राम, झंझारपुर (R.S.), मधुबनी (बिहार)

जलांचल में ग्राम कोष आन्दोलन

- लेखक : रतन रवि एवं रणविजय
- प्रकाशक :
  एस० एस० भी० के०
  जयप्रकाश ग्राम, बलभद्रपुर,
  झंझारपुर (R.S.), मधुबनी-847403
  सम्पर्क फोन- 06273-222416, 222242
  0612-2210476
  ईमेल : deepak1004@sancharnet.in
- छाया : रघुवीर राय, मधुबनी
- प्रकाशन वर्ष : 2003
- सहयोग :
  एस०एस०भी०के० एवं ऐक्सनऐड इंडिया
- टाइप सेट :
  जय माता दी कम्पोसर एण्ड प्रिन्टर्स
  डी० एन० दास लेन, लंगरटोली, पटना-4
- मुद्रण :
  पटना ऑफसेट, नया टोला, पटना-4

अभिव्यक्ति

उत्तर बिहार को लोग जलांचल कहते हैं क्योंकि यह क्षेत्र पानी से भरा रहता है। हिमालय की तड़ाई के पड़ोसी देश नेपाल में सभी छोटी-बड़ी नदियों का उद्‌गम है। इनमें से अधिकांश नदियाँ बिहार के जलांचल क्षेत्र में बहती है। जब भी अधिक वर्षा नेपाल में होती है, उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है। इस समय सभी नदियों का पानी उफान पर रहता है। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए कोसी के अलावा कमला, बागमती, गंडक जैसी सभी छोटी-बड़ी नदियाँ बांधदी गयी हैं। इस कारण से जलश्राव के रास्ते बन्द हैं। बड़े इलाके में जल जमाव की समस्या बनी रहती है। कालाजार जैसी बीमारियों से लोग अक्रांत रहते हैं। रोजगार के अवसर बहुत कम है। लोग रोजगार के लिए पलायन करते रहे है। राजा-रजवाड़ा एवं जमींदारों का इस क्षेत्र में बोलबाला रहा है। इस कारण से जमीन जोतने वालों तक नहीं पहुँची तालाबों पर बड़े लोगों का अधिकार है। यही कारण है कि यहाँ के आमलोग गरीब है। समाज में दलित तबका जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है।

राजनीति भी यहाँ प्रभुवर्गों के हाथ में रहा है। राजनीतिक, आर्थिक रूप से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। धन के केन्द्रीकरण के कारण सदियों से महाजनों का राज रहा है। मन-मानी चक्रवृद्धि ब्याज सूद दर सूद के आधार पर कमजोर लोग को बंधुआ मजदूर बनाए रखने की परम्परा सदियों से चली आयी है।

सरकारी बैंक ने इस इलाके से जितनी धन उगाही की है, उस अनुपात में इस इलाके के विकास में धन नहीं लगाया है। कमजोर लोग बैंक के ढ़ाँचे एवं शर्तों के कारण इसके पास पहुँचने की हिम्मत नहीं करता। कहीं-कहीं बैंक का धन गरीबों के पास पहुँचा भी है तो बीचौलियों के कारण। इस लेन-देन में बीचौलियों को ही मुफ्त में फायदा मिला है।

इस सब परिस्थितियों में लोकशक्ति संगठन जिसके संचालक दीपक भारती हैं, ने शोषण से मुक्ति के लिए, साथियों के सहयोग से लोकशक्ति संगठन का निर्माण किया है। लोकशक्ति संगठन के कार्यक्रम में लोग तन-मन-धन अर्पित करने को तैयार रहते हैं। जब तक सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन में समाज तन-मन-धन अर्पित करने को तैयार नहीं रहता तबतक सफलता नहीं मिलती। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश के आन्दोलन में संघर्ष कोष के बदौलत आन्दोलन आगे बढ़ा था। 1977 में लोगों द्वारा तन-मन-धन अर्पण के बदौलत ही लोकतंत्र की पुर्नबहाली हो पायी थी।

लोकशक्ति संगठन से जुड़े दलित एवं शोषित समुदाय के लोगों ने अपने नवनिर्माण के आन्दोलन में सब कुछ अर्पित किया है। 'ग्राम कोष' इनकी सबसे बड़ी उपलब्धी है। वैसे ग्राम कोष में इतना धन नहीं है कि जिससे किसी को रोजगार हेतु पूँजी दी जा सके। परन्तु इसके लिए यह,

परिस्थितियों का निर्माण अवश्य कर रहा है। महाजन वर्ग, कमजोर व जरूरतमंद लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज पर सूद लेते ही हैं, साथ में कठिनाई के साथ बनी मजबूर परिस्थितियों को नाजायज फायदा उठाकर आदमी का आत्मसम्मान नष्ट कर देते हैं। अपने नजर से गिरा आदमी फिर कभी नहीं उठता, गुलामी उसकी नियती हो जाती है। ग्राम कोष ऐसी परिस्थिति आने नहीं देता। ऐसे अतिसंवेदनशील स्थितियों में ग्राम कोष ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की है जिसके कारण लोगों का खोया आत्मसम्मान वापस लौटा है। ऐसे सकारात्मक वातावरण के कारण लोग संगठित हुए हैं तथा संघर्ष के द्वारा सम्मान ही हासिल नहीं की है अपने 'तालाब' भूमि एवं ग्राम पंचायत के सीटों पर अधिकार जमाया है।

छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने 70-80 के दशक में बोधगया में महंथ के विरूद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ के गरीब लोगों ने 53 कचहरियों पर आधारित मठ के सामंती ढांचा को नष्ट कर एक नया समाज बनाने का प्रयास किया था। इस दौरान गांव-गांव में संघर्ष कोष का निर्माण हुआ था। इसी संघर्ष कोष के बदौलत पूरी लड़ाई जीती गई थी। समर्थकों ने भी बाहर से आन्दोलन में सहयोग किया था पर वह आंशिक या पूरक था।

लोकशक्ति संगठन को मैंने करीब से देखा है। समुदाय के लोग ग्राम कोष की मदद से अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखी है। ग्राम कोष में गांव के लोग व्यक्तिगत धन जमा करते हैं पर ग्राम कोष पर अधिकार व्यक्ति का नहीं समुदाय का होता है। ''सामूहिकता'' ही इसकी विशेषता है। जलांचल में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के आन्दोलन का प्रमुख औजार ग्राम कोष है। जब तक जलांचल में परिवर्तन की चाहत रखने वाले लोगों के बीच ग्राम कोष रहेगा, परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहेगी।

युवा सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय एवं पत्रकार रतन रवि ने ग्राम कोष आन्दोलन पुस्तिका को अपनी लेखनी दी है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तिका से समाज में काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ने का राह मिलेगा। ❑

105, रामचन्द्रलोचन वाटिका, पुनाईचक,
पटना-800 023, फोन-0612-2220202

प्रभात कुमार

दिनांक : 13 मार्च 2003

शोषण मुक्ति के लिए राह तलाशता बेचैन युवक

झंझारपुर के एक कस्बे में एक पढ़ा-लिखा युवा जो समाज के प्रति संवेदनशील भी है व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में एक परचून की दुकान खोलता है। चायपत्ती, गरम मशाला, कागज का ठोंगा आदि के छोटे पैकेट बनाकर दुकानों तक पहुँचाता है। इन परचून के सामान के लिए शहर के सभ्रांत व्यक्ति से सूद पर कर्ज लेकर उसने अपना काम प्रारंभ किया है। बैंकों से ऋण लेने में तरह-तरह के उलझनों को देखकर उसने ऐसा किया है। एक तरफ सूदखोरों के जाल से निकलना उस युवक के लिए मुश्किल हो जाती है। सूदखोरों के पास आने वाले लोगों की बढ़े उलझनों को देखकर वह पढ़ा-लिखा युवक स्वयं अचंभित है। वह मन ही मन ठानता है कि सूदखोरों से समाज को मुक्त करना आवश्यक है पर इसके लिए क्या किया जाए। वह जनता के बीच जाकर राह तलाशता है।

वह गांव की ओर बढ़ता है। तीन साल पहले बड़हरा ग्राम में मोहनराम ने अपने सूदखोर भूस्वामियों का दरवाजा खटखटाता है। उसे प्रतिमाह 10-12 फीसदी की चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए मिलते है। इस बढ़ते कर्ज को चुकाने में उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। मरौना (सुपौल) जिला के राम शरण सदा ने 5000 सूद पर लिया था जो बढ़कर 20,000 हो गया और पैसा नहीं दे सकने और महाजन के बढ़ते दबाव के कारण उसे सदा के लिए सपरिवार गांव छोड़कर बाहर भाग जाना पड़ा। गांव के बदरी रजक ने दस साल पहले 60 रुपये कर्ज लिए थे। उसने 50 रुपये चुका दिए, उसके बाद भी अपनी एक बीघा जमीन कर्जदारों के हवाले मजबूरी में करनी पड़ी। सहरसा जिले के बड़हरा गांव के मोहन राम ने पंजाब जाने के लिए 10-12 प्रतिशत प्रतिमाह पर सूद लिया है यदि यह तीन महिने पर 500 रुपए के बदले 12 प्रतिशत सूद प्रतिमाह को जोड़कर लौटा दिए तो ठीक है वरना ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाएगा। यहीं के डोमी सदाय ने 1997 में 11000 रुपए कर्ज लिए थे। उसे 20 लोगों को पंजाब ले जाना था। सितम्बर 1998 तक उसने 30,000 रुपए अदा करने के बावजूद 12,000 रुपए और देने थे। चार साल 20 लोगों ने पंजाब में काम किया है इसके बावजूद लोगों के पास बचत के नाम पर एक पैसा नहीं बचता जो कमाना, सो खाना। क्या फायदा ? गांव में राह की तलाश में घूमता नौजवान ने यह देखा कि जल से मुसहर नकद कमाने लगे हैं। सूद कई गुना बढ़ गया है। साथ ही साथ अहम सम्मान का भी सवाल है। एक तरफ सूद भी भरते हैं। वे और उपकरण उनकी पत्नी और बच्चे को बिमार अवस्था में भी कम मजदूरी पर काम करवाते है तथा कभी-कभी यौन शोषण करते है।

बाढ़ और आधुनिक मशीनों ने सूदखोरी को बढ़ावा दिया!

असामयिक बाढ़ एवं खेत में आए भारी ट्रैक्टर एवं मशीन ने इन्हें बेरोजगार बना दिया है। इस कारण से पलायन यहां की मजबूरी है। पलायन एवं सूदखोरी एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्थायी दुकान भी सूदखोर चलाते है। मजदूर अपना पैसा, चेक या ड्राफ्ट से उन्हीं भूस्वामियों सूदखोरों को भेजते हैं। वहां भी ये फायदा उठाते हैं। इस प्रकार कई तरह से शोषण चलता रहता है।

सत्तर के दशक से मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी जिले में बाढ़, नदी की खिसकती धारा, तटबंध के कारण पानी के निकासी में अवरोध, और पानी भरने जैसी बातों से ग्रामीण खेती चौपट हो रही है। वास्तव में तटबंधों ने खेती और जमीन का सत्यानाश कर दिया है। 80 के दशक से ट्रैक्टर बड़े पैमाने पर आया है। यह 200 रुपए बीघा की दर से खेत जोत देता है। इस तरह अब मालिकों को न मजदूर चाहिए, न बैल, न हल। भूस्वामियों के लिए तो आसानी हो गई है। पर खेतिहर मजदूर मुशहर के साथ-साथ लोहार तथा बढ़ई भी बेरोजगार हो गए हैं। महिलाओं को केवल कटाई एवं बोआई के समय तीन महीनों के लिए रोजगार मिलता है। ऐसी स्थिति में सूदखोरों के फंदे में फंसना तो मजबूरी है। ऐसे में पुरूषों को घर-बार छोड़कर पंजाब या गुजरात जाना उनकी मजबूरी है। धीरे-धीरे गांव में रस्सी बांटना, टोकरी बुनना, पत्तल बनाना एवं चावल कूटना या जूते बनाने का रोजगार कम होता जा रहा है। ऐसे में तो जीने के लिए धन चाहिए ही।

आखिर कैसे मिलेगी मुक्ति !

झंझारपुर का नौजवान साथी यह सब देखकर दु:खी और चिंतित होता है। वह अन्य युवकों को अपने साथ लेकर गाँव-गाँव पूछता है कैसे मिलेगी मुक्ति। तभी गांव में सामूहिक कोष की बात होती है। युवक हिम्मत नहीं हारता है। दलित औरतें 50 पैसे लोगों से इक्ट्ठा करती हैं। दलित पुरूष इस प्रयास का मजाक उड़ाते हैं। 50 पैसे से क्या होगा ? बड़ा आया है हमारी समस्या का हल ढूढने ! पर युवकों को चिंताई कैसे मिलेगा आत्म सम्मान! कैसे दलित भी इंसान की तरह जी सकेगा। कैसे आत्म सम्मान बचकर महाजन के यहां आने से मुक्ति मिलेगी।

अपने महिलाओं को बैठक करने से मना करता है। पर औरतों को युवकों की बात समझ में आती है। दलित टोले में मुसहर जाति के लोग धीरे-धीरे आने लगते है। वर्ष 1992 में मुसहर बाहुल्य लखनौर, मधेपुर एवं झंझारपुर प्रखण्ड के सोहराय मल्लाह टोला, सोहराय मुसहर टोला, सिरपुर मुसहरी, हरभंगा मुसहरी, कमलदाहा मुसहरी, दैया खरवार मुसहरी, गंगापुर मुसहरी, कसियाम मुसहरी, खैरी मुसहरी और मधेपुर के खैरी मुसहरी, कोएरली वाहा मुसहरी, फटकी मुसहरी, विदेश्वर मुसहरी, नन्दन वन मुसहरी, हसुलिया मुसहरी, धरभरिया मुसहरी, अंधरा मुसहरी, मधेपुर मुसहरी आदि में ग्राकोष की बातें लोगों को पसंद आने लगती है। गांव के मुट्ठीभर अनाज व 17 पैसे (अब 50 पैसे) जमा कर ग्राम कोष बनाना प्रारंभ करते हैं। धीरे-धीरे इस छोटे से कोष का फायदा ग्रामीणों को समझ आने लगता है और धीरे- धीरे ग्राम कोष आन्दोलन का रूप लेने लगता है। दलित महिलाएँ अपनी कमिटी बनाती है तथा स्वयं संचालन करना प्रारंभ करती हैं।

ग्राम कोष ने बेचैन युवक को दिखाई मुक्ति की राह!

झंझारपुर अनुमण्डल खैरी ग्राम की तिलिया देवी पिछले वर्ष चुनाव में अपने पंचायत में सबसे अधिक मत पाकर पंचायत समिति की सदस्य बनी है। मझौले कद की तिलिया को प्रारंभ में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तिलिया का ब्याह नेपल सदाय से बहुत उम्र में हो गया था। खेत में मजदूरी करने से लेकर घर का सभी काम तिलिया को करना

पड़ता था। जब झंझारपुर से आए युवकों ने ग्राम कोष की बात कही थी तो उसे बहुत भाया था। वह प्रत्येक परिवार से 5 रुपए इकट्ठा कर ग्राम कोष बनाने लगी थी। एक बार तो बड़े लोगों के उकसाने पर उसके पति ने बेरहमी से पीटा भी नही था, उसे घर से भी निकाल दिया था। लेकिन जगिया देवी जैसी औरतों ने उसका बड़ा सहयोग किया था। धीरे-धीरे ग्राम कोष का विचार सफल साबित हुआ था।

एक समय आया जब पुरूषों को ही पंजाब जाने के लिए इस कोष से सहयोग मिला। तब पुरूषों ने तिलिया का लीडर मान लिया था। ग्राम कोष के बदौलत तिलिया का मान बढ़ा था।

इसी तरह परताहा की विधवा महिला कटोरिया का दो बेटा पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करने चला गया। तब घर में उसका पोता अचानक बीमार पड़ गया। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। वह ग्रामे कोष में गई। संचालक ने तत्काल 1,165 रुपए दिए। ग्राम कोष के लोगों ने और भी तरीके से कटोरिया का आड़े वक्त पर साथ दिया। कटोरिया गांव के सूदखोरों का शोषण एवं खुशामद कर पैसे मांगने की पुरानी बातें कहते-कहतें रो पड़ती हैं।

बड़हरा ग्राम का मोहन राम एक गरीब खेत मजदूर है। वह कई वर्ष से मजदूरी करने पंजाब जा रहा है। हर बार उसे पैसे की जरूरत होती थी तो वह सूदखोर भूस्वामियों का दरवाजा खटखटाता था। उसे 10-12 फीसदी प्रतिमाह पर पैसा मिल जाता था। पर कर्ज चुकाने में भी उसकी कमाई चली जाती थी। पर ग्राम कोष बनने के बाद, ग्राम कोष की संचालिका हरिया देवी ने मोहन राम के 300 रुपए की माँग पर उस बार विचार किया। उसे दो फीसदी सूद पर 300 रुपए का कर्ज दिया भी। हालांकि कोष में इस समय बहुत कम पैसे जमा हुए थे। फिर भी मोहन राम की आवश्यकता का एक हिस्सा वहां से निकल आया। तब से मोहन हरबार कोष से कर्ज लेता है और नियत समय पर भरपाई भी कर देता है। अब उसे भूस्वामियों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। अब इज्जत के साथ जी रहा है। उसे बड़े लोगों के सामने दबने की जरूरत नहीं महसूस करता। इससे उसे काफी राहत मिलती है।

सोहराय गांव की सोमनी देवी याद करके कहती हैं कि किस तरह से प्रारंभ में जब उसने ग्राम कोष की बात कही थी तो गांव के पुरूषों ने किस तरह उसका मजाक उराया था। भूस्वामियों ने भी उनकी सोहराय का मजाक उराय था। आज सभी मुसहर ग्राम कोष के सदस्य हैं। इस गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर बाढ़ के मिट्टी एवं बालू से भर गए तालाब की खुदायी की। उसमें मछली पालन प्रारंभ किया।

सोहराय गांव में गुलाब सदाय, असिया मोसमात तथा अनाथ इन्दिरा कुमारी के विवाह में ग्राम कोष से कर्ज दिया गया। राम लाल सदाय को टी. बी. के इलाज के लिए कर्ज दिया गया। एक दिन गांव के मजदूर जो पंजाब में मजदूरी करते थें, पंजाब जाने के लिए झंझारपुर जंक्शन पर पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें प्लेट फार्म पर गिरफ्तार कर लिया। पिछली रात्रि गाँव में डकैती हुई थी। बड़े लोगों को स्वाभिमानी मुसहरों को नीचा दिखाने का सही अवसर मिल गया था। इन लोगों ने इनका नाम डकैती में देकर झूठे मुकदमें में फंसा दिया था। जेल में बंद लक्ष्मण सदाय को छुड़ाने के लिए 1100 रुपए कर्ज ग्राम कोष से दिया गया। पहले गांव से दिल्ली लौटने के क्रम में गांव में सस्ती दर पर टेप, रेडियो, घड़ी बेचकर पैसा मिलता था। अब नहीं बेचना पड़ता। ग्राम कोष से कर्ज लेकर चले जाते हैं। बाद में मनीआर्डर से पैसा भेज देते हैं।

ग्राम कोष ने दलितों में आत्मविश्वास पैदा की

इस तरह से ग्राम कोष ने दलितों में आत्म विश्वास पैदा किया है। अब भूस्वामियों के समक्ष थोड़े से पैसो के लिए गिरगिराने की मजबूरी नहीं रह गयी है। ऐसे में इनका मनोबल ऊंचा रहता है। हम भी आदमी है, हमारा भी अपना आत्मस्वाभिमान है इस तरह की भूख मुसहरों में जगी है। ऐसे में गांव में जब चेतना का संचार हुआ है। गांव का समाज करवट लेने लगा है। दलित निचली सीढ़ी से उपर की ओर बढ़ चले हैं। गांव के लोगों ने जिस युवक को सूदखोरों से मुक्ति की राह बतायी! वह था दीपक भारती. बाद में इन्होंने सन् 1986 में सामाजिक सैक्षणिक विकास केन्द्र की स्थापना की। सन् 1992 में लोक शक्ति संगठन का निर्माण किया। दीपक भारती एवं उसके अन्य साथी हरि नारायण हर्ष, विनोद कुमार, सूर्य नारायण सदा, देबू सदा, फूलिया सोमनी, तिलिया, अमेरिका देवी, सुकुमारी देवी, रामेश्वर सदाय, गंगाराम, दीपक सदा, लक्ष्मी सदा, गंगा सदा, गणेश पासवान, रामचन्द्र का अनुभव ही लोक शक्ति संगठन का अनुभव था। बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी के मकड़जाल से मुक्ति की चाहत उत्तरी बिहार का जलांचन क्षेत्र (कोसी-कमला नदी अंचल) का हर गरीब और उसका परिवार कर्ज एवं बंधुआ मजदूरी के बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। बच्चे बाल मजदूरी के लिए अभिशप्त है। वैसे मुसहर गांव में बाल मजदूरी की उपस्थिति और उसका फैलाव वर्षों से चला आ रहा हैं। मुसहर अपने गांवों से नए विकसित असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने के लिए जाते है। कालीन बुनाई, ईंटभट्टा धान रोपनी, कटनी, गेहूँ कटाई एवं अन्य क्षेत्र में ये खप जाते है।

ग्राम कोष बनाने के क्रम में 1992 के दौरान पता चला था कि कंवल सहरसा जिले के नवहट्टा एवं महिषी प्रखंड के परताहा गांव से भी बाल मजदूरी के लिए जाता है। 500 बच्चे पलायन कर नील मजदूरी में फंसे है। 40 घरों के 24 बच्चे पहले उत्तर प्रदेश के भदोही गांव में कालीन उद्योग में काम करने गए और बाद में 23 बच्चे वहां से पंजाब मजदूरी करने चले गये। आर्थिक उपार्जन करने तथा दूर देश को देखने के लिए अन्य बच्चे भी वहां जाना चाहते हैं। इन्हें ले जाने के लिए लोभ भी दिए जाते हैं। बच्चे के मां-बाप को और दलाल के माध्यम से 1000 रुपये तक अग्रीम राशि भी, परन्तु जीवित लौटने या जल्दी सकुशल लौटने की गारंटी नहीं। ये बच्चे पंजाब के चावल मिल में 500 रुपए तक कमा लेते थे। उस समय दीपक भारती ने 20 गांवों का सर्वेक्षण में यह पाया था कि 20 गांव के 1704 बाल मजदूर बाहर गए हैं। इनमें से 650 लड़कियाँ मजदूरी करने निकली थी। बच्चों के बालश्रम का कारण सूदखोरों से ली गई कर्ज से मुक्ति की चाहत ही थी। पहले 12 वर्ष के बहुत से बच्चे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली काम करने जाते हैं। जो बच्चे बाहर जाते हैं कुछ दिन उनका अता पता नहीं चलता। बच्चे गायब भी हो रहे हैं परन्तु जरूरतमंद अभिभावको पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बच्चों को खेलने कूदने के समय में कठिन श्रम की मजदूरी से मुक्ति का क्या कोई उपाय हो सकता है। उसका एक मात्र उपाय है अपने आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए सामाजिक संघर्ष करना।

ग्राम कोष आन्दोलन ने लोगों को राहत दी। आत्मविश्वास पैदा किया। हम जीत सकते हैं। इसकी शक्ति पैदा की। एक सामूहिक शक्ति के उदय ने इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक संघर्ष को तेज कर दिया। एक नए मुसहरी का जन्म होने लगा। ग्राम कोष आन्दोलन की सफलता का राज इन्हीं संघर्षों में छुपा था।

ग्राम कोष स्थापना कैसे की जाती है !

गांव के जरूरतमंद लोग सार्वजनिक स्थान पर बैठकर आपस में बैठ अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं। प्रत्येक लोग विचार करते हैं कि वो अपने आमदनी का कितना हिस्सा बचत कर सकते हैं। उसके बाद लोग अपना पाकेट टटोलते हैं। पैसा इकट्ठा होता है। एक कापी खरीदी जाती है। किसने कितना राशि दिया है, यह नोट किया जाता है। लोग आपसी सहमति से धन का हिसाब किताब रखने वाले दो व्यक्ति का नाम तय करते हैं। इन दोनों में महिला का होना निश्चित होता है। फिर यह तय किया जाता है कि माह में प्रत्येक व्यक्ति कितना पैसा जमा कर सकता है। प्रतिव्यक्ति 15 रुपये या इसी बराबर अनाज प्रतिमाह तय होती है। कम से कम 500 रुपया एकत्रित होते ही नजदीकी पोस्ट आफिस या बैंक में एकाउंट खोला जाता है।

समय-समय पर बैठक में यह निश्चित किया जाता है कि जरूरतमंद लोगों को कितना कर्ज दिया जाए। आपात स्थिति जैसे बीमारी, विवाह, काम पर जाने के लिए राह किराया आदि के लिए तुरंत कर्ज दे दिया जाता है। दो प्रतिशत वार्षिक सूद पर लोग कर्ज लिया करते है और पैसा वापस जमा करते हैं। संघर्ष और आंदोलन के कार्य में भी ग्राम कोष से सहयोग लिया जाता है। इस तरह सामूहिक सहकार एवं सामुदायिक धन से लोगों की जरूरतें पूरी होती है। ग्राम कोष किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं होती बल्कि, यह सामूहिक कोष है जिसके धन पर दान देने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता जैसा कि अन्य निजी या सरकारी बैंकों में होता है।

ग्राम कोष के सहयोग से हसौलिया में मजदूरों ने जीत हासिल की

रामेश्वर सदाय – वर्ष 1993-94 के दौरान मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखण्डान्तर्गत हसौलिया गांव में उचित मजदूरी के सवाल पर मजदूर मालिक का विवाद हुआ था। तकरीबन 8 महिनों तक मजदूरों ने मालिकों के कार्यों का बहिष्कार किया तथा उन मालिकों के सारे साजिशों को मार्फत अपनी चट्टानी एकता हवा में उड़ा दिया था। मजदूरों का नारा था, उचित मजदूरी नहीं तो काम नहीं। रामेश्वर सदाय, डोमी सदाय, लक्ष्मी सदाय, नसीब लाल सदाय, कौशाल्या देवी, मुरती देवी आदि मजदूर नेतृत्व की केन्द्रीय भूमिका में रहे थे। ऊपरी तौर पर इस विवाद की गहराई मापी नहीं जा सकती। मजदूरी कर अपने परिवार का पेट भरने वाले मजदूर 8 महिनों तक बेकार रहे, मालिकों की साजिशों को झेला, चन्द तरह के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, प्राकृतिक प्रकोपों का सामना किया। इस दौर में वहाँ स्थापित ग्राम कोष उनके काम आया था। बतौर ग्राम कोष वसूले गये खाधानों से हड़ताल पर मजदूरों के परिवारों का भोजन चला तथा पैसे से अन्य जरूरतों को पूरी की गयी थी। मजदूरों की इस चट्टानी एकता के सामने मालिक झुक गये। खेत के आबाद नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गयी थी और बिना मजदूरों की सहायता उनका काम चलने वाला नहीं था। अंत में मालिकों की ओर से उस पंचायत के तत्कालीन मुखिया चन्द्रकांत झा एवं मजदूर प्रतिनिधियों के साथ लोकशक्ति संगठन बिहार के बीच समझौता हुआ। मालिक उचित मजदूरी देने के लिए राजी हुये और 8 महिनों के

बाद मजदूर अपनी मांग मनवाकर काम पर लौटे थे। सहज कल्पना की बात है कि अगर यह ग्राम कोष नहीं रहता तो क्या होता ? क्या मजदूर अपनी मांगो पर 8 महिनों तक डटते। क्या वहां मजदूरों के कई सवांग भुखमरी का शिकार नहीं बनते या इलाज के अभाव में नहीं मरते ?

खरवार के दलितों ने सर नहीं झुकाया

वर्ष 1994-95 के दौरान मधुबनी जिले के लखनौर प्रखण्ड के दैया खरवार गांव में भूस्वामियों एवं मजदूरों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। गरीब मजदूर मालिकों की ज्यादतियों से परेशान होकर गांव छोड़ कमला बलान के पूर्वी तटबंध पर बस गये। गांव के जमींदार ने इस पलायन को अपने हित के प्रतिकूल माना। उनका मानना था कि मजदूर हमारी गिरफ्त से बाहर जाने की हेठी की है तथा स्वतंत्र रहने का ऐलान किया है। मजा चखाने के ख्याल से जमीन्दारों ने मजदूरों को धमकाया। हत्या एवं विस्थापित करने की धमकी दी, होली में खूनी होली खेलने का संदेश भेजवाया। यह तनाव तकरीबन 3 महिनों तक चला। तब तक मजदूर मालिकों के गृह खेत खलिहान कार्यों को बहिष्कृत रखा। इस दौर में बतौर ग्राम\कोष वसूले गये चावल, मडुआ, गेहू से मजदूरों ने अपने परिवारों का भोजन पकवाया। अंत में पदयात्रा के दौरान वहा पहुंचे दीपक भारती ने मध्यक्षता कर विवाद को खत्म करवाया था तथा उन मजदूरों की पुख्ता इन्तजाम करने वास्ते प्रशासन को सलाह दी थी। वे मजदूर आज भी अपनी मनपसंद जमीन पर बसे हैं तथा उन्हें उजाड़ने का मालिको का सपना समाप्त हो चुका है। सुकुमारी देवी, सिद्धेश्वर सदाय, ठको सदाय, बौनी देवी, युगेश्वर सदाय इत्यादि ने उस दौर में मजदूरों का नेतृत्व किया था।

सोहराय के अमेरिका, फुलिया, शोमनी, कुम्भा ने जमीन एवं तालाब पर कब्जा जमाया

लखनौर प्रखण्ड के ही सोहराय मुसहरी में वर्ष 1996-97 में गैरमजरूआ जमीन एवं तालाब पर कब्जा करने के सवाल पर वहाँ के गरीब लोगों एवं जमीन्दार लुट्टो सिंह और उनके पक्षधरो के बीच रस्सा कस्सी चली थी। अमेरिका देवी, फुलिया, शोमनी, कुम्भा देवी, श्री चंद सदाय, परमेश्वर सदाय, लालू सदाय, टुनाई मुखिया, मुनाय मुखिया के नेतृत्व में उस मुसहरी के लोगों ने मालिकों के कानूनी लड़ाई का सामना किया, मालिकों के खेत-खलिहान, घर के कार्यो का 6-7 महिनों तक वहिष्कार किया तथा लड़कर बाढ़ में मिट्टी बालू से भर चुके 2 बीघा 9 कट्ठा तालाब भूमि पर कब्जा किया। जमीन्दारों के लगाये ममूरी फसल को लूट लिया साथ ही थाने से पुलिस बुलाया। जमींदार के पास जमीन का कागज नहीं था इसलिए वह भाग गया। बाद में मुशहरी के 18 लोगों पर न्यायालय से मुकदमा किया, तथा ग्राम कोष के सहारे तालाब में मछली पाल रहे हैं। सनद रहे कि ये सब जमीन गैरमजरूआ की थी और मालिक वर्षो पूर्व से इस पर अवैध रूप से काबिज थे।

सिरपुर के गर्भी, रेशमा देवी तथा असर्फी सदाय ने दबंगो से तालाब छीना

लखनौर प्रखंड के सिरपुर मुसहरी के लोगों ने गांव के तालाब पर बड़े एवं बाहरी लोगों के अवैध कब्जा को जोरदार चुनौती वर्ष 92-93 में दी थी। अशर्फी सदाय, गर्भी देवी, रेशमा देवी, रामचन्द्र सदाय इत्यादि गांव के मुसहरों का मानना था कि तालाब मुसहरी की सम्पति है। तालाब में मछली मरवाना की वर्षो से खेती कर रहे बाहरी एवं दबंग लोगों को यह चुनौती नहीं भाया। घात-प्रतिघात हुये। अंत में मुसहरों की जीत हुई। ग्राम कोष के 30 हजार रुपयों से मुसहर अब उस पोखर में मछली की खेती कर रहे हैं। नवटोल गांव झंझारपुर प्रखण्ड के एक ब्राह्मण परिवार जिन्होंने एक संस्था का निबंधन करवाया है, वहां के मुशहरों को कानूनी भय दिखाने लगें। मछली माफियाओं के साथ मिलकर तालाब का बन्दोबस्त संस्था के नाम हो चुका है कहकर डराने लगे लेकिन लोग और पीछे नहीं हटे।

खैरी मुसहरी ने भूदान की जमीन पर कब्जा किया

मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के खैरी मुसहरी में भूदान गैरमजरूआ तथा सीलिंग सरप्लस की 156 एकड़ जमीन पर कब्जा के सवाल पर मुसहरों का आस-पड़ास के दबंग मध्य जाति के लोगों के साथ संघर्ष वर्ष 1996 से ही चल रहा है। मामला न्यायालय में लम्बित है। मार-पीट मवेशी अपहरण के कई दौर मुसहर अब तक झेल चुके हैं किन्तु अभी 13 एकड़ पर से कब्जा नहीं छोड़ा है। दबंग मध्य जाति के लोगों ने लाखों रुपये के मवेशी लुट ले गये हैं। अभी तक लौटाया नहीं है। पुलिस प्रशासन सँचिका उलझाये बैठा है। तिलिया देवी, जागिया देवी, घूरन सदाय आदि मुसहरों का नेतृत्व कर रहे हैं। तिलिया देवी तो अब प्रखंड पंचायत समिति सदस्या भी बन गयी है। सारा केस मुकदमा दौड़ धूप ग्राम कोष के सहारे ही चल रहा है। यहां लो०श०सं० के बैनर तले पहला मजदूर किसान सम्मेलन भी लोगों के सहयोग से हुआ था।

चन्दरगढ़ में 14 एकड़ भूमि पर कब्जा

सुपौल जिले के मरौना प्रखंडान्तर्गत चन्दरगढ़ खुश्यिाली नामक एक गांव है। गांव के तकरीबन 250 एकड़ भूदानी जमीन पर बड़े लोगों का अवैध कब्जा हैं। जेमनी-देवी, ललन ऋषिदेव, सुनील यादव आदि के नेतृत्व में गांव के गरीबों ने अवैध कब्जा हटाओं आन्दोलन चलाया तथा मार्फत आन्दोलन उनलोगों ने अब तक का 14 एकड़ जमीन को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने में सफलता पायी है। सारा कुछ ग्राम कोष के सहारे ही चला और आज भी चल रहा है।

किरतपुर एवं घनश्यामपुर में लड़ाई जारी है

दरभंगा जिला के किरतपुर गांव में मालिकों के खिलाफ मजदूरों ने एक लम्बी लड़ाई लड़ी। राम प्रसाद सदाय और जिया लाल सदाय ने इसका नेतृत्व किया था। लड़ाई का मुद्दा जमीन और वाजिब मजदूरी था। लड़ाई, मुकदमा का सारा खर्चा ग्राम कोष से जुटता है।

घनश्यामपुर दरभंगा जिला जमीन-मजदूरी विवाद

दरभंगा जिले के ही घनश्यामपुर प्रखंड में मुसहर बिहार सरकार के एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ जमीन एवं मजदूरी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। लक्ष्मी सदाय, बद्री सदाय इत्यादि आन्दोलन के नेता है तथा गांव में स्थापित ग्राम कोष आन्दोलन में आर्थिक मदद दे रहा है।

सुखेत (मधुबनी जिला) गांव में भूपति से तालाब मुक्त कराने में मुसहर सफल रहे

झंझारपुर प्रखंड के सुखेत गांव में एक एकड़ रकवा का एक तालाब है। एक दबंग जमीन्दार न पिछले 50 वर्षों से इस तालाब पर अवैध कब्जा जमा रखा था। उस गांव के मुसहर समुदाय को उस तालाब की सही स्थिति का ज्ञान नहीं था। सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र में आयोजित 20 एवं 50 दिवसीय सामाजिक उत्प्रेरक एवं संगठन कर्त्ता प्रशिक्षण से प्रशिक्षित होकर लौटे सुखेत मुसहरी के बासट सदाय और लुड़की देवी ने तालाब के लिए खोजबीन की तथा पाया कि उक्त जमीन्दार का उस तालाब पर अवैध कब्जा है। तब आपस में विमर्श कर मुसहरों ने उस तालाब पर से जमीन्दार का अवैध कब्जा हटाने की लड़ाई लड़ी। कब्जा हटाया। अपना कब्जा जमाया। लगे हाथ वृक्षों से भरी 2 एकड़ भूदानी जमीन को भी जमीन्दार के कब्जा से मुक्त कराने में सफलता पायी। सारा खर्च ग्राम कोष से जुटा।

दलितों की एकता से बड़की नवानी में भूमि पर कब्जा एवं तालाब की खुदायी

झंझारपुर प्रखंड में बड़की नवानी नामक एक मुसहरी है। उस मुसहरी में भी ग्राम कोष चल रहा है। गाँव के छेदी सदाय और माधुरी सदाय ने सामजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र आयोजित 20 एवं 50 दिवसीय सामजिक उत्प्रेरक एवं संगठनकर्ता का प्रशिक्षण वर्ष 1994 में किया था। गांव से सटे दक्षिण में 1 बीघा 10 कट्ठा जमीन है। इस पर मालिक विशेष का वर्षों से अवैध मालिकाना हक था। मुसहरी के लोगों ने संगठित होकर उस भूखंड पर चारों ओर से अपना, घर बनाया तथा ग्राम कोष की सहायता से बीच में 6 कट्ठा का तालाब खुदवाया है। इनलोगों ने ईंट भट्ठा मालिकों के खिलाफ भी एक जोरदार लड़ाई लड़ी है। बगैर उचित मजदूरी के इनलोगों ने उस ईंट भट्ठा में न तो स्वयं काम किया और न शहरी मजदूरों को काम करने दिया। अंतत: मजदूरों की जीत हुई। मालिक उचित मजदूरी देने के लिए राजी हुये। यहा के मजदूरों के सोच में तब्दीली एवं एकता के मजबूती का कारण प्रशिक्षण एवं ग्राम कोष की स्थापना के बाद ही हुई है।

शाबास बरहरा !

सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंडान्तर्गत बरहारा नामक एक गांव है। गांव के धनिक लाल साह और लक्ष्मी सदाय ने यहां ग्राम कोष की स्थापना की थी। इस ग्राम कोष के खाते में फिलहाल 48 हजार रुपये जमा हैं तथा 2 फीसदी सूद पर इतने पैसे लगे हैं कि तकरीबन 8 हजार रुपये बतौर सूद राशि नियमित रूप से आ रही है। यहाँ के ग्राम से पलायन, बीमारी, शादी एवं आन्दोलन के कार्यक्रम में ग्राम से समुदाय के लोगों की मदद की गयी है।

प्रदर्शन, धरना, न्यायिक मार्च

सितम्बर 1994 में लोकशक्ति संगठन ने झंझारपुर एस० डी० ओ० के समक्ष विभिन्न माँगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया था। घनघोर वर्षा और प्रदर्शनकारियों का धैर्य, अनुशासन एवं प्रतिबद्धता उस दिन गौर करने के लायक थी। उसमें कितने लोग शरीक थे। अनुमान करना कठिन है, अलबत्ता अपने क्षेत्र के दौरे पर आये एक पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को सड़क खाली होने वास्ते 5 घंटा इन्तजार करना पड़ा था।

इसी तरह वर्ष 1994 में ही हरभंगा मुसहरी में मारपीट और पुलिस प्रशासन की कथित धांधली के खिलाफ लोक शक्ति संगठन ने झंझारपुर आर० एस० थाना का घेराव किया था तथा प्रशासन को झुककर अपना दोष कबूलना पड़ा था। झंझारपुर के तत्कालीन एस०डी०ओ०/ डी०एस०पी० को माईक पर आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी।

प्रशासनिक झूठ एवं दमनात्मक नीति के खिलाफ तथा बी०डी०ओ० की गिरफ्तारी की माँग को लेकर लोक शक्ति संगठन ने वर्ष 1994 में ही दिन भर मुख्य सड़क को जाम रखा था। यह जाम इतना मजबूत और 3 कि०मी० में फैला जाम था कि मधुबनी के तत्कालीन जिला समाहर्त्ता एस० शिव कुमार को जाम हटवाने का साहस नहीं जुटा और मधुबनी जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ा था। प्रशासन ने दीपक भारती पर झंझारपुर प्रखण्ड कार्यालय में तोर-फोर करने एवं बी०डी०ओ० की पिटाई करने का झूठा मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रशासन आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। इस तरह दीपक भारती की जीत हो गयी। पटना में अप्रैल 2001 में प्रदर्शन हुआ है। पंचायत में एकल पद पर आरक्षण नहीं दिए जाने के विरोध में धरना एवं न्यायिक मार्च हुआ था तथा इसी वर्ष दरभंगा कमिश्नरी में विशाल प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा मार्च 2003 में जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में किया था। कमला तटबंध एवं पश्चिम कोसी नहर में दलितों को काम देने एवं कराह ट्रैक्टर रोकने के आन्दोलन में ग्राम कोष से मदद मिली। इसी वर्ष भेजा (मधुबनी) में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा तथा सुपौल जिला के लोग ग्राम कोष के पैसे से मजदूर किसान सम्मेलन में भाग लेने आये थे। ये सभी संघर्ष ग्राम कोष के बदौलत हुये। प्रत्येक गांव के ग्राम कोष ने खर्चे में अपनी-अपनी हिस्सेदारी निभायी थी। उपर्युक्त ये कुछ बानगी साबित करते है कि आत्मबल बढ़ाने तथा हक की लड़ाई लड़ने वास्ते अपना आर्थिक स्त्रोत का रहना जरूरी है। ग्राम कोष इस सवाल पर अच्छा खासा मदद कर रहा है।

ग्राम कोष संगठन संघर्ष और आन्दोलन का सूचक है -दीपक भारती

लोकशक्ति संगठन के संचालक दीपक भारती ग्राम कोष को संगठन का पैरामीटर मानते हैं। उनका मानना है कि ग्राम कोष जिस गांव में नहीं है वहां संगठन जीवंत नहीं हो सकता। ग्राम कोष के संदर्भ में उन्होंने निम्नलिखित बातें कहीं :-

प्रश्नः क्या ग्राम कोष एक बैंक है ?

उत्तरः ग्राम कोष बैंक नहीं है। बैंक में जो धन जमा है वह धन उपभोक्ता का है। पर उसके संचालन की नीतियाँ प्रत्यक्ष रूप से सरकार तय करती है। बैंक कर्मी वेतन लेकर प्रबंध न देखते हैं तथा लोक सेवा करते हैं। बैंक कर्मी का अपने बैंक से लगाव नहीं होता।

प्रश्नः बैंक एवं ग्राम कोष में क्या अन्तर है ?

उत्तरः बैंक की सम्पत्ती का संचालन सरकार करती है तथा अपने नीतियों के आधार पर विकास में विनिमेष करती है। बैंक में उपभोक्ता का व्यक्तिगत धन होता है। परन्तु ग्राम कोष में धन तो व्यक्ति जमा करते हैं पर उस पर अधिकार सामूहिक होता है। समूह खर्च की प्राथमिकता तय करता है। ग्राम कोष का धन गरीब लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। बैंक के ऋण एवं उपभोक्ता के बीच बिचौलिया काम करता है जिसमें उपभोक्ता को नाजायज खर्च करना पड़ता है। अक्सर जरूरतमंद को बैंक के कड़े शर्तों के कारण मदद नहीं मिलती है। पर ग्राम कोष में इन सब भष्ट्राचार की गुंजाइस नहीं है।

प्रश्नः ग्राम कोष की जरूरत क्यों पड़ी ?

उत्तरः सर्वप्रथम तो जिस दलित समाज में हम काम करते हैं यदि उसे बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना है तो महाजनों से मुक्त करना आवश्यक होगा। उसके लिए आवश्यक है कि यह समुदाय आर्थिक रूप से महाजनों के चंगुल से मुक्त हो। महाजनी व्यवस्था ही पुस्त-दर-पुस्त बंधुआगिरी के लिए मजबूर करती है।

प्रश्नः बंधुआ मजदूरी से मुक्ति कैसे संभव है ?

उत्तरः इसके लिए आर्थिक स्वावलम्बन आवश्यक है। गरीब लोग अपनी गरीबी सामूहिकता से दूर कर सकते हैं। सामूहिकता का दूसरा नाम ग्राम कोष है।

प्रश्नः क्या यह केवल आर्थिक स्वायत्ता की व्यवस्था है ?

उत्तरः आर्थिक स्वायत्ता से ज्यादा आर्थिक स्वावलम्बन कहना ज्यादा ठीक रहेगा।

प्रश्नः ग्राम कोष निर्माण से क्या-क्या फायदा हुआ है ?

उत्तरः ग्राम कोष ने लोगों को महाजनी से मुक्त कराया है। ग्राम कोष आपसी सदभाव एवं मेल जोल का प्रतीक है। केवल मेल-जोल ही नहीं संगठन की एकता तथा सुदृढ़ता का पैमाना है।

प्रश्नः ग्राम कोष के बिना भी तो संगठन चलाया जा सकता है ?

उत्तरः कदापि नहीं। वर्तमान युग में लोगों की समस्याओं का हल बिना धन के संभव नहीं है। यदि बीमारी, शादी-विवाह, पढ़ाई, नौकरी की खोज आदि करनी है, रोजगार चलाना है तो पूँजी चाहिए। यदि संघर्ष करना है तो व्यवस्थागत उलझनों से मुकाबला करने (केस-मुकदमा, दफ्तर सम्पर्क) में धन चाहिए।

यदि ग्राम कोष नहीं होगा तो गरीब कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी स्थिति में ग्राम कोष इस बात का पैमाना है कि गांवों में संबंधित मुद्दों पर बात-चीत हो रही है या नहीं। जहाँ ग्राम कोष नियमित नहीं चल रहा है, इसका अर्थ है वहां का संगठन वास्तविक रूप में काम नहीं कर रहा है। संगठन तो आवश्यक है पर वह बिना ग्राम कोष के रीढ़ विहीन है।

संगठन कमजोर है तथा ग्राम में आपस में कोई-न-कोई विवाद है तभी ग्राम कोष नहीं बन पा रहा है। यदि संक्षेप में कहे तो ग्राम कोष आर्थिक स्वालंबन, शोषण से मुक्ति, आपसी सद्भाव, एकता तथा संघर्ष के सुदृढ़ता का प्रतीक है। जीवन के विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। संघर्ष को आगे बढ़ाने एवं समाज के नवनिर्माण में ग्रामकोष पूरक का काम करता है।

परियोजना के 35 गाँव में ग्राम कोष में है - रेशमा देवी

रेशमा देवी पति श्री मकसुदन सदा ग्राम-देवका, प्रखंड-नवहट्टा, जिला-सहरसा के निवासी है। रेशमा देवी एक दलित मुसहर महिला है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। उनको दो लड़का दो लड़की है। पहले वो सामाजिक व परिवारिक दबाव के कारण गांव में ही किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही थी। उनके गांव पर नजदीक के सामान्त का पूरा बर्चस्व तथा सूदखोरी (महाजनी) का भी बड़ा शोषण करने का अवसर मिलता था। सहरसा जिला के नवहट्टा प्रखंड का भौगोलिक स्थिति अन्य जिला से भिन्न है। साथ ही लोग बेरोजगार, अशिक्षित, चाल मजदूरी अधिक है। कोशी नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण काफी जान-माल का नुकसान होता है अर्थात लोग ही नहीं बल्कि पशुओं तथा कृषि को काफी प्रभावित करता है। इस भयंकर स्थिति को देखते हुए संस्था द्वारा ऐक्शनएड के सहयोग से कार्यक्रमों को 35 गांवों में शुरू किया गया। परियोजना के

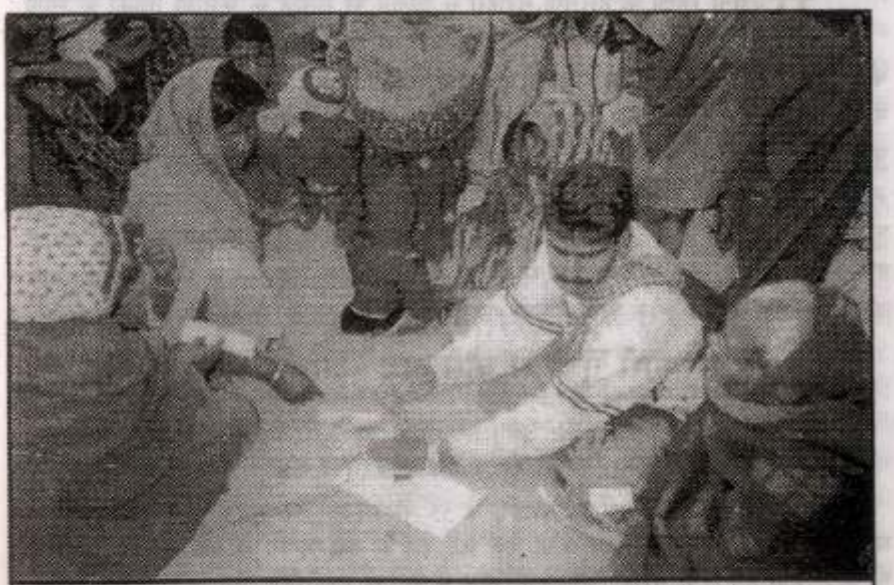

ग्राम-दैयाखरवार ग्राम कोष मधुबनी की खाताधारी सुकुमारी देवी एवं समन्वयक दुःखा चौपाल ग्राम कोष हिसाब करते हुए

सभी गांव में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीण बैठक कर ग्रामिणों को संगठित किया गया जिसमें अधिकार संबंधित बातों को समझाया गया साथ ही महाजनी (सूदखोरी) से मुक्ति पाने के लिए ग्राम कोष को नियमित रूप से चलाने के लिए प्रत्येक परिवार को महिना में 5 रु० के दर से जमा करना प्रारम्भ कर दिया है। अब इस कोष में लोग महिना में 15 रु० जमा करना प्रारंभ कर चुके हैं। परियोजना के 35 गांवों में लगभग दो लाख रुपया ग्राम कोष में जमा है।

ग्राम कोष के बदौलत मेरी जमीन वापस मिलेगी -घूरन सदा

मैं घूरन सदा ग्राम-सितल, पंचायत-डरहरा, प्रखण्ड-नवहट्टा, जिला- सहरसा का रहेने वाला हूँ। 1970 में मेरे ग्राम के 10 दलित को सरकार ने सीलिंग की जमीन अधिग्रहित कर दान में पट्टे पर दी थी। हमलोग जमीन पर फसल उगा रहे थे तभी एकाएक मालिक लोग मेरे पिता को खटिरा सहित उठाकर ले गये। जमीन का फसल काट लिया तथा मेरे घर में जानवर लाकर बांध दिए। थाना ने हमारी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया इसके बाद सी.जी.एम. के कोर्ट में जाकर मुकदमा किया। मुकदमा आज तक चल रहा है। मकदमा के भय से सभी साथी धीरे-धीरे लड़ना छोड़ दिए। लेकिन ग्राम कोष संगठन के मदद से मुकदमा लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं मुकदमा जीतूँगा तथा अपनी जमीन वापस लूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि लोक भी हिम्मत नहीं हारें तथा लड़ाई जारी रखें।

संघर्ष के दौरान घायल हरिलाल सदाय का इलाज ग्राम कोष से हुआ

मधुबनी जिला के हरिभंगा मुशहरी में तालाब पर समाज के कमजोर तबकों के लोगों का कब्जा को लेकर संघर्ष चल रहा था। यहाँ आन्दोलन के दौरान लोकशक्ति संगठन के कार्यकर्ता हरिलाल सदाय को डंडा से सर फाड़ दिया गया था। लहुलुहान हरिलाल को पुलिस ने उल्टे गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के खिलाफ लगभग 5000 ग्रामीणों ने झंझारपुर (R.S.) पुलिस शिविर थाने का घेराव किया। थाना पर झंझारपुर अनुमण्डलाधिकारी एवं आरक्षी उपाधीक्षक आए। उन्होंने घटना में हरिलाल सदाय को निर्दोश पाकर रिहा कर दिया तथा सार्वजनिक रूप से पुलिस की गलती के लिए उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद ग्रामीणों ने घेराव समाप्त किया। घायल हरिलाल का इलाज ग्राम कोष के पैसे से कराया गया। हरिलाल सदाय आज भी सक्रिय हैं। ग्राम कोष गाँव-गाँव में बने इसके लिए सक्रिय रहते है। उपरोक्त घटना 1994 की है।

सरकारी गुंडो से कैसे लड़े -जीवछ सदा

मैं जीवछ सदा पिता स्व० पुरन सदा, ग्राम-लालपुर, पो०-डरहरा, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा का निवासी हूँ। वर्षों से लोकशक्ति संगठन से जुड़ा हुआ हूँ।

मुझे और मेरे ग्रामीण दलित मुशहरो के 55 परिवार को 54 एकड़ 70 डिशमिल जमीन सरकार ने दी थी। जिसका लगान अभी तक कट रहा है। इस जमीन से सबों का जीवन यापन भी होने लगा। हम सभी मुशहर जमीन के आड़ में पेंड़ भी लगा दिये तथा 24 वर्षों तक इसकी देख-रेख करते रहे। इस बीच गुप्त रूप से पूर्व मालिक ने मुख्य न्यायिक पदाधिकारी के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया जिसका मुकदमा 501/98 था। अनुमण्डल कार्यालय ने मालिकों का केस

खारिज हो गया। हाई कोर्ट में अपील खारिज हो गया। जमीन मालिक शशिभुषण यादव जब मुकदमा हार गए तो गुण्डों के साथ जमीन पर चढ़ने की कोशिश की जिसे हमलोगों ने नाकामयाब कर दिया। तब थाना प्रभारी को पैसा देकर हमें जमीन जोतने से (स्थानी पुलिस ने) मना कर दिया तथा हमारी फसल कटवा ली। हमलोगों ने 144 के मुकदमा में जीत गए। पर गुंडो एवं पुलिस पर जमीन पर हमें चढ़ने नहीं दिया जाता है। ग्राम कोष की मदद हमने कोर्ट के लड़ाई तो जीत ली पर सरकारी गुंडो से कैसे लड़े समझ में नहीं आता।

शुकुमारी कहती है "ग्राम कोष के बदौलत हक मिला"

मैं सुकमारी देवी जौजे श्री ठककों सदाय ग्राम खड़वार बांध मुसहरी, पंचायत गंगापुर प्रखण्ड-लखनौर, जिला-मधुबनी की स्थायी वासी हूँ। मैं सन् 1992 से पहले ग्राम खड़वार के पूरे मुसहरी के लोग सामंती के जमीन में बसे हुए थे। सन् 1992 ई० में लोक शक्ति संगठन के नेतृत्व में सम्पर्क स्थापित हुई। दीपक भारती के नेतृत्व में हमलोग सामाजिक उत्प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त किये। प्रशिक्षण उपरान्त मैंने मजदूरी के सन्दर्भ में आवाज बुलन्द किये एवं ग्राम कोष का भी निर्माण किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1993 में भूस्वामियों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। सामंतो के क्षेत्रों में काम करना बन्द कर दिये एवं उचित मजदूरी की मांग किये। मांग करने से पूर्व मात्र 900 ग्राम अनाज और जलपान मजदूरी मिलता था। सामंत लोग गांव से अपने जमीन से भगा दिये। जबकि काम 8 (आठ) घंटा करवाता था। हमलोग जमीन्दारों के खेत में 15 दिन तक काम करना बन्द कर दिये। इस अवधि में से जमीन्दार द्वारा समस्त मुसहरी के आम लोगों को धमकी मिलना शुरू हो गया, जो हमलोगों को भी खेतों एवं चारागाहों में जाना बन्द कर दिये। इसके उपरान्त सख्त धमकी दिये जो इस साल होली के अवसर पर मुशहरो के खून के साथ होली खेलेंगे। इसके बाद सभी समुदाय के महिला पुरूष बच्चे एवं मवेशियों सहित झंझारपुर के अनुमण्डलाधिकारी के पास धरना हेतु प्रस्थान किये। दैयाखड़वार के कुछ सज्जन लोग हमलोगों को 2 कि० मी० आ जाने के बाद आगे से वापस घर चलने हेतु आग्रह करने लगे। जो आज तारीख से इस तरह की हरकत नहीं होगी। हमलोग आपस में मिल जुलकर रहेंगे। इसके बाद हमलोगों को मजदूरी पक्की 3 किलो, टाला-कुदाली से 5 किलो और नकद रूप में 40 रूपया देना शुरू किये। पूर्वी कमला तटबन्ध पर आने के बाद हमलोगों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ा। तटबन्ध पर गढ़ा का पानी पीना पड़ता था। अचानक एक रोज रामफल सदाय पिता जुगल सदाय की 5 वर्षीय पुत्री प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने गढ़े में गयी एवं डूबकर मर गयी। हमलोग सामजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, झंझारपुर के सचिव एवं सरकार को सूचना किये। संस्था के सचिव हमलोगों को दो चापाकल आपूर्ति किये। ग्रीस्म ऋतु में पछवा के प्रचण्ड हवा के झोंको में तटबन्ध पर खाने-पीने का सामान धूल से भर जाती थी एवं तेज हवा में घर गिर जाते थे। हमलोग फूस के घर बनाते-बनाते काफी तवाह रहते थे। हमलोगों के घर के सामने की कमला तटबन्ध में कमला के तेज धारा ने कटनीयां कर दिया है और कमला वाटर वेज की ओर से नोटिश आ गयी कि आविलम्ब आपलोग तटबन्ध पर से घर हटा ले, नहीं तो प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर घर हटवा दिया जायगा। इसके बाद हमलोग पुनर्वास हेतु सम्बन्धित अंचलाधिकारी अनुमण्डलाधिकारी और जिलाधिकारी को आवेदन पत्र दिये। लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं किया गया। विवश होकर हमलोग लोकशक्ति संगठन के माध्यम से छपड़ा के रहने वाले (दैया खड़वार के सन्यासी बाबा) कैलास गिरी, गोविन्द गिरी जो जमीन्दार हैं। उनके कलम बाग 1½ (डेढ़) एकड़

जमीन पर दिनांक 3.1.2003 में आ बसे कुल 40 (चालीस) परिवार अपना फूस का घर बनाकर रह रहे है। कैलास गिरी के पास बीस एकड़ जमीन था। अभी हमलोग बसे हुए जमीन की वासगीत पर्चा हेतु प्रयासरत है। यहाँ पानी की समस्या अभी बनी हुई है। इस प्रकार ग्राम कोष के बल पर हमलोग दरभंगा आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किये। मजदूर किसान सम्मेलन भेजा और लखनौर खैरी में किये।

ग्राम कोष ने दी महाजनी व्यवस्था से मुक्ति -तिलिया देवी

मैं तीलिया देवी पति श्री नेवल सदाय ग्राम लखनौर खैरी पो०-उमरी, थाना-लखनौर, जिला-मधुबनी की स्थायी निवासी हूँ। मैं शुरू में एक ग्रामीण निरक्षर महिला थी जो अपने घर में रहती थी। सर्वप्रथम मैं नेतृत्वकर्ता (सामाजिक उत्प्रेरक) का प्रशिक्षण ली। प्रशिक्षण के उपरान्त मैं गांव-गांव में महिलाओं के साथ बैठक कर महिला संगठन बनाने लगी। महिला संगठन के साथ-साथ मैं हर गांव का अपना ग्राम कोष खुलवाने लगी ताकि गांव के महिलाओं में बचत करने की प्रवृति आये और संघर्ष में उनका जमा पैसा काम आये। संघर्ष आवश्यम्भावी था क्योंकि मैं जिस समुदाय में काम कर रही थी उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं था। भूदानी और गैरमजरूआ जमीन पर गांव के ही जमिंदार का कब्जा था। ग्राम कोष में गांव की सभी महिला 5 रु० महिना या एक मुट्ठी आनाज जमा करती थी। ग्राम कोष के पैसा से हीं हमलोगों ने संघर्ष किया।

शुरू में हमलोग कमला नदी के तटबंध पर बसे थे। बाद में हमलोगों को जानकारी मिली कि हमारे ही गाँव में 13 एकड़ भूदानी जमीन है। यह जमीन गांव के हीं किसान सुखी यादव और योगिन्द्र यादव के कब्जा में था। मैं अपने ग्रामीण के साथ बैठक कर इस जमीन पर कब्जा करने की बात कही ताकि वहां घर बनाकर रहा जा सके। ग्रामीण ने मेरे बात का समर्थन किया। हमलोग अमीन को बुलाकर नापी करवाये और पर्चा के लिए आवेदन कर दिये तथा अपने ग्रामीण और लोकशक्ति संगठन के माध्यम से जमीन पर कब्जा किए। वहां हमलोगों ने अपना-अपना घर बनाया। घर बनाने के बाद आक्रोशित सुखी यादव और योगिन्द्र यादव ने लठैतों एवं बंदूकधारियों की मदद से हमलोगों के साथ मारपीट किया तथा हमारे 35 गाय-भैंस खोलकर ले गए और बेंच दिया। हमलोगों ने संगठन के अन्य साथियों से मिलकर प्रदर्शन और धरना किया। प्रशासन पर जनदबाव बनाया तब जाकर प्रशासन ने इसके खिलाफ कारवाई करने का आश्वाशन दिया। इसके बाद उन लोगों ने हमारे लोक शक्ति संगठन के साथी योगेन्द्र महतो, हरिनारायण हर्ष, मुझ पर और संगठन के संचालक दीपक भारती पर रिवाल्वर चलाने का तथा लूट-पाट का झूठा मुकदमा दायर किया जो वर्तमान में भी चल रहा है। हमलोगों ने भी गाय-भैंस लूटे जाने पर तथा ग्रामीण महिला दुलारी देवी तथा अन्य लोगों के मारपिट के लिए मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा अभी तक जारी है। यह मुकदमा ग्राम कोष के माध्यम से लड़ रहे हैं। बिहार विधान परिषद् के सभापति श्री जाविर हुसैन से मिलकर यह मामला विधान परिषद् में भी उठावाया। पटना में पत्रकारो को घटना की सारी जानकारी दी। पटना से अंग्रेजी पेपर के श्री प्रणव कुमार चौधरी ने आकर हमलोगों का कहानी लिखकर सरकार को सच्चाई से अवगत कराया। अब इस जमीन पर कुछ लोगों को पर्चा देने का प्रक्रिया जारी है। हमलोग के कब्जे में 9 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर अब इन्दिरा आवास योजना के तहत लोगों का घर बन रहा है। इस संघर्ष के सफलता के बाद अन्य गांवों के संघर्ष पर भी असर पड़ा। संगठन अन्य गांव के लोग भी इससे प्रभावित हुए। ग्राम कोष आन्दोलन इस संघर्ष के बाद काफी तेज हो गया। हर गांव के ग्राम कोष में काफी पैसा जमा हो गया। अपने गांव के ग्राम कोष के माध्यम से गांव के अन्य उत्थान का कार्य भी किया गया। महाजनी व्यवस्था से लोगों को काफी हद तक छुटकारा मिला।

वर्ष 2001 में हुए पंचायती राज चुनाव में मैं पंचायत समिति सदस्या के लिए भारी मत से निर्वाचित हुई। आज भी मैं गांव-गांव में संगठन का कार्य कर रही हूँ तथा ग्राम कोष आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही हूँ। ग्राम कोष के माध्यम से हीं मैं संघर्ष कर अपने समुदाय का विकास कर रही हूँ।

देवका में महिलाओं ने घूँघट हटाया

संस्था द्वारा जब से देवका गांव में संगठन बना संस्था काम करने लगी तब से धीरे-धीरे महिला लोग भी ग्रामीण बैठक में भाग लेने लगी। पहले वो लोग घुँघट में रहती थी लेकिन अब इस प्रकार की बात नहीं है घुँघट प्रथा में काफी बदलाव हुआ है पहले महिला लोग बाहरी लोगों से बोलने में झिझकती थी लेकिन इस प्रकार कि बातें अभी के दिन में नहीं है। अब ग्रामीण बैठक में पुरूषों के साथ-साथ महिला भी भाग लेती है। महिलाएँ भी अपने अधिकार को समझने लगी है। देवका गांव के सभी महिलाओं में से सबसे जागरूक महिला रेशमा देवी आगे रही। उनके साथ गांव की महिलाएँ घर से निकलने लगी। पहले बैठक में सिर्फ पुरूष बोलते थे और निर्णय भी वहीं लेते थे। लेकिन बाद में महिलाएँ भी बैठक में बोलने लगी है आज बैठक में भी निर्णय में उनकी भागीदारी हो रही है। संस्था के माध्यम से हुए सामाजिक उत्प्रेरक नेतृत्वकर्त्ता (लीडरसीप) प्रशिक्षण में रेशमा देवी के साथ गांव की अन्य महिला-पुरूष भी आयें। महिलाएँ प्रखंड कार्यालय में जाने लगी। रेशमा देवी के नेतृत्व में गांव के विभिन्न सरकारी योजना आई.आर.डी.पी. से ऋण- गाय, वृद्धापेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मातृत्व अनुदान, बालिका सम्वृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, अन्तयोदय, अन्नपूर्णा योजना आदि से गांव के लोग लाभान्वित हुए है। रेशमा देवी संस्था द्वारा दाई (टी.बी.ए.) का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर दाई (बच्चों का प्रसव कराने) का काम कर रही है। आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें किराना दुकान का ऋण दिया गया। आई.आर.डी.पी. से गाय का लॉन ली हैं। जिससे अभी उनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है। पहले वे महाजन के कर्ज से डुबी रहती एवं बन्धुआ मजदूर बनकर रहती थीं। सुदखोरी से बचने, आत्मनिर्भता बनाने के उद्देश्य से संगठन के द्वारा ग्राम कोष के निर्माण में रेशमा देवी को काफी योगदान रहा। अभी गांव में संचालित ग्रामकोष से हो रहे क्रियान्वयन (लेन-देन) से सुदखोरी काफी हद तक कम हुआ है। पहले ग्रामीण पलायन करते एवं आपातकालीन स्थिति में महाजन से अधिक सूद दर (10 रुपये सैकड़ा मासिक) के दर से पैसा लेना पड़ता था। अब वे लोग ज्यादातर ग्रामकोष से ही आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। संस्था द्वारा दिये गये प्रशिक्षण (नेतृत्वकर्त्ता, सामाजिक उत्प्रेरक, का प्रशिक्षण) से ग्रामीणों में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता बना है। जिससे वे अपने अधिकार को लेकर प्रखंड-कार्यालय में पहुँचते हैं और सरकारी सुविधा से लाभांवित हुए हैं। संस्था के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को चलाने के लिए गांव में नौ सदस्यें ग्राम कमिटी बनी है जिसमें एक अध्यक्ष दो-दो सदस्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, संगठन, आर्थिक कार्यक्रम को देख-रेख का भार सौंपा गया है। जिसमें उनके संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाती है। 17 फरवरी 2002 को सामन्त द्वारा मनमानी का विरोध करने के कारण उनके मुहल्ले (दलित) पर उनलोगों द्वारा हमला किया गया। देवका में मुशहर को मारा-पीटा रेशमा देवी ने गांव के महिलाओं को लेकर थाना (पुलिस स्टेशन) में सामान्त के खिलाफ प्राथमिकी केश दर्ज करवाई, उनलोगों के ऊपर कानूनी करवाई हुई। गांव के सारे पुरूष लोग गांव छोड़कर भाग गये लेकिन रेशमा देवी महिलाओं को साथ लेकर अड़ी रही। अभी वह सामान्त लोग मुशहर महिला रेशमा देवी से समझौता के लिए तैयार है।

लोक शिक्षण केन्द्र की स्थापना

संस्था के द्वारा शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में लोक शिक्षण केन्द्र खुला गया है। जिसमें एक लोक शिक्षक है जो मानदेय आधारित है लोक शिक्षण केन्द्र में 42 बच्चे पढ़े रहे हैं। केन्द्र में बच्चों की भागीदारी काफी अधिक रहती है। परियोजना का कार्यक्रम जब से चला है तब से बच्चों के साथ-साथ वहां के अभिभावक भी शिक्षा के प्रति जागरूक हुए है। यहाँ के प्राय: बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को समय-समय पर पठन-पाठन सामग्री काफीकागजी पैंसिल, किताब, रबर, कटर, पैंसिल बॉक्स तथा खेल-कूद के लिए सामान भी संस्था के द्वारा दिया जाता है। पहले बच्चे दिनभर इधर-उधर खेलते थे लेकिन अब समय पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ने आते है और घर पर भी पढ़ते है। बच्चों को आगे शिक्षा से जोड़ने तथा बाल मजदूरी से बचने एवं आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए संस्था द्वारा आर्थिक कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें कृषि ऋण, किराना दूकान, बकरी पालन, टोकरी आदि कार्यक्रम से उनके माता-पिता को जोड़ दिया गया है। इससे आर्थिक स्थिति में उनलोगों को सुधार आया है।

माह जून से सितम्बर तक प्राकृतिक आपदा बाढ़ के कारण बच्चों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के कारण यहां के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है भारी जान-माल की क्षती होती है। घर-बार भस जाते हैं लोग घर से बेघर हो जाते हैं। फसल दह जाता है। अधिकांश लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। यातायात का कोई साधन इस विषम परिस्थिति में सिर्फ लोगों को नाव ही सहारा रह जाता है। यातायात के साधन नहीं होने के कारण अगर कोई अधिक बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते-जाते रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इस विषम परिस्थिति में संस्था द्वारा आपातकालीन दवा दिया जाता है। बाढ़ के कारण जल दूषित पीना पड़ता था इसके लिए संस्था द्वारा स्वच्छ पेयजल पीने के ऊँचे स्थान पर चापाकल लगवा दिया गया है।

पिछले साल 2001 में हुए पंचायत चुनाव में वे वार्ड सदस्य से चुनाव लड़ी और इस चुनाव में उसने विजय हासिल किया। ग्राम सभा में सामान्य जनों की पूरी भागी दारी हेतु जीतोर कोशिश की है और उसमें बहुत हद तक सफलता भी पाई है। अपने वार्ड सदस्य के अधिकार पर मुखिया के सामने आवाज उठाई है। ग्राम सभा में रेशमा देवी का महत्व बढ़ गई है। ग्रामीण लोग उन्हें अच्छा सम्मान करते हैं। संगठन से जुड़े रहने के कारण अपने गांव के साथ-साथ प्रखंड के सभी गांवों (दलित) के लिए भी प्रखंड में मांग रखती है और गांवों के महिलाओं को इसके प्रति प्रेरित करती है। उपर्युक्त कार्यों में भी कुछ हिस्सा ग्राम कोष से जाता है।

परमानपुर में देवेन्द्र राम मुक्ति के लड़ाई में अगुआ बने

मैं देवेन्द्र राम पिता श्री रामफल राम ग्राम-परमानपुर, प्रखण्ड-झंझारपुर, जिला-मधुबनी (बिहार) के निवासी हूँ। वर्ष 1994 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र के द्वारा सामाजिक संगठनकर्त्ता का 50 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें सामाजिक कुव्यवस्था, छूआछूत, अन्धविश्वास, मैं गरीब क्यूँ ? इस पर चिन्तन, आत्म विश्वास का निर्माण, जमीन से जुड़े हुए पहलू आदि पर विस्तृत रूप से जानकारी मिली। प्रशिक्षण के उपरान्त मैं अपने गांव परमानपुर

वापस गया। गाँव पहुंचने पर सभी ग्रामीण लोग हमसे अनेको सवाल जानने के इच्छुक थे। मैंने कहा कि शाम को बैठक की जायगी जिसमें गांव के सभी महिला पुरूष का आना अनिवार्य है और तब हम प्रशिक्षण में क्या-क्या बात हुई किस-किस मुद्दे पर मैं प्रशिक्षण प्राप्त किया इसकी जानकारी देंगे।

शाम में सभी लोग दलान पर एकत्रित हुए सबसे पहले मैं ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन के सम्बन्ध में चर्चा किया और आगे जानने के लिए ग्रामीणों में काफी उत्साहित को देखते हुए उक्त पहलू पर विस्तार रूप से बताये। ग्रामीणों ने बड़ी गम्भीरता से जानकारी प्राप्त किया और दूसरे दिन ग्राम कोष के लिए पैसा एकत्रित कर दो आदमी एक महिला एक पुरूष मिलकर डाकघर नवानी में खाता खुलवाया। हम ग्रामीण लोगों को आर्थिक पक्ष थोड़ा मजबूत होने लगा और धीरे-धीरे संगठनात्मक कार्यों में लग गये। हमलोग निर्भूम थे, रहने के लिए भी जमीन का आभाव था। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया कि सरिसबपाही के जमीन्दार जगदीश झा जो परमानपुर गांव में उसका कामत 300 एकड़ का था, जिसमें तालाब भी है पर क्यों न चढ़ाई किया जाय। फिर देखते ही देखते सभी ग्रामीणों ने संगठन के बल पर तालाब के महाड़ पर घर बनाकर बस गये। जो उक्त जमीन 2 बिघा महाड़, और पंझौव 1 बिघा का है जिसका नम्बर 107, एवं 100 है। इस लड़ाई में लगभग 50,000 पच्चास हजार रुपये ग्राम कोष से खर्च हुआ। उक्त जमीनदार श्री झा ने चाल चलकर एक यादव के परिवार को जमीन का प्रलोभन देकर कि पाँच एकड़ जमीन तुम्हारे नाम से भी कर देंगे तुम लोग इस महाड़ को राम चमार परिवार के घर को उजाड़ कर फेंक दो। हमलोग संगठित थे जिसके कारण उसका कुछ न चला। हम लोग संघर्ष करते रहे और अभी भी मुकदमा चल रहा है। फिर वासगीत पर्चा के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी को बराबर आवेदन देते रहे लेकिन अभी तक वासगीत पर्चा निर्गत नहीं हो पाया है। तालाब को साफ करवाना पड़ेगा और फिर उसमें मछली पालन हम समुदाय के ही लोग वन्दोवस्ती करवाकर करेंगे। उक्त जमीन्दार के परिवार के सदस्य लोग ऊँचे-ऊँचे पद पर पदस्थापित हैं जिसके कारण हमलागों को अभी तक काफी सताया जा रहा है। और पर्चा निर्गत नहीं हो रहा है।

उक्त देवेन्द्र राम के नेतृत्व में ही परमानपुर मुशहर समुदाय के लोग ने इसी तरह की जमीन लगभग 2 बिघा पर कब्जा करके इन्दिरा आवास भी बन गया है लेकिन उसका भी पर्चा निर्गत नहीं हो पाया है। अभी भी वर्तमान में परमानपुर गांव के आस-पास लगभग 300 बिघा जमीन ऐसा है जो कि दबंग लोगों के कब्जे में है इस तरह की जमीन गरीब भूमिहीन लोगों को होना चाहिए।

फटकी कुट्टी का ग्राम कोष एवं भूमि संघर्ष

गांव-फटकी कुट्टी भाया-मधेपुर, जिला-मधुबनी 1992 से हमारे गांव में सामाजिक शैक्षणिक विकाश केन्द्र (संस्था) के आगमन होने के बाद ग्राम कोष का गठन हुआ। ग्राम कोष के माध्यम से 1993 में 30 एकड़ जमीन पर संघर्ष शुरू हुआ और 1994 में जमीन पर कब्जा हो गया। 51 आदमी के नाम से पर्चा प्राप्त हो गया जो एक मिसाल है। एक सौ बस्ती वाला परिवार में सिर्फ एक चापाकल था। संघर्ष के द्वारा आज 11 चापाकल है। संघर्ष के माध्यम से 1995 में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए सामुहिक बैठक हुआ सरकार के घोषणा के मुताबिक 300 परिवार

की आवादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का गठन से सम्बन्धित लोक शक्ति संगठन के कार्यकर्त्ता मूर्ति देवी, मीणा देवी एवं ढेक्, तिरपित सदाय ने मोर्चा सम्भाला और ग्राम कोष के माध्यम से स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत होने के बाद जमीन की अरजने आया जो कहाँ वनाया जाय। भुस्वामियों के द्वारा फिर हमलोग पूरे गांव की बैठक बुलाए और भुस्वामिओं से पूछा गया कि जमीन दिजिए लेकिन उनका कहना था कि मुसहर होकर इतना बड़ा काम कैसे करवा लिया। यदि ये लोग इसी तरह संगठित होकर रहे तो हमको दिक्कत है। हमलोग अधिग्रहण करवाये और आज स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है। उसके बाद ग्राम कोष के माध्यम से पंचायत भवन बनवाने के बाद चर्चा पंचायत में जोरो पर था। 1996 की बात है हमलोगों ने एक बैठक की और आन्दोलन पंचायत स्तर पर शुरू हुआ और हमलोग पंचायत भवन भी वनवा लिये जो कार्यरत है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस बनने की चर्चा शुरू हुई। पंचायत के ही दूसरे गांव वाले (जैसे रामबाग एवं बाबूजी बन के लोगो ने इसे अपने गांव ले जाना चाहा, लेकिन हमलोगों ने संघर्ष कर अपने ही गांव में पोस्ट ऑफिस भी स्वीकृत करवा लिया जिस कामके लिए हमलोग बैठक किए, संगठन के लोग अपनी जान एवं माल की परवाह किये बिना संघर्ष करता आ रहे हैं। 1997-98 में शान्तिमय संघर्ष कर 7 एकड़ जमीन पर ग्राम कोष के माध्यम से फसली बन्दोवस्ती करवाए हैं। 12 एकड़ जमीन पर फिर संघर्ष करते हुए पुण: उस जमीन पर कब्जा जमाये। 2002 में विधायक ऐच्छिक कोष से रामवाग से कमला बाँध एवं फटकी से बाबूजीवन तक सड़क कार्य हुआ। 4 लाख का रोड बनवाए फिर उन्ही के माध्यम से हरिजनों की बस्ती में हरिजन दलान भी स्वीकृत करवाए। यह कार्य मार्च में आरम्भ होगा। पुण: 10 एकड़ जमीन पर संघर्ष जारी है। संघर्ष में मुख्य भुमिका निभा रहे हैं, तिरपीत सदाय एवं देवु सदाय, एवं अन्य।

ग्राम कोष बनाम स्त्री शक्ति

ग्राम कोष की बढ़ती लोकप्रियता वावत लखनौर खैरी गावं में कोष संचालित करने वाली तिलिया देवी का कहना है कि गांव के कुल 55 मुसहर परिवार ग्राम कोष के सदस्य हैं। सोहराई ब्रह्मटोला की प्रिया की टिप्पणी है कि पहले हम सव कर्ज के लिए बड़े लोगों की चिरौरी करते थे अब हम उन्हें ताकते भी नहीं है। उसी गांव के जगदीश सदाय का भी यही मानना है। तिलिया, अमेरिका, शोमनी, फुलिया आदि जैसी दर्जनों महिलाओं का मानना है कि ग्राम कोष की स्थापना के बाद उनके परिवारों की गरिमा बड़ी है, पारिवारिक जीवन सुखद हुआ है तथा इज्जत की रोटी कमा खा रहे है। लखनौर खैरी को अब तिलिया खेरी के नाम से भी जानने लगे है। यादव बहुत गांव की निचली पिछड़ी दलित महिला के नाम से गांव का नाम जाना जाए यही बड़ी बात है।

मुट्ठीभर अनाज एवं 50 पैसे से स्थापित होता है ग्राम कोष

इस ग्राम कोष का सबसे उल्लेखनीय पक्ष है कि इसके लिए प्रति दिन एक मुठी अनाज वा 17 पैसे (अब 50 पैसे) जमा करना पड़ता है। महिलायें इसे जमा करती और चुनी प्रतिनिधि खाता संचालित करती है। दो प्रतिशत ब्याज दर से अधिकतम 6 महिनों के लिए सदस्यों को ऋण देता है। ग्राम कोष से आये सामाजिक, आर्थिक बदलाव से उत्साहित दुसरे सदस्य इससे लोक शक्ति संगठन ग्राम कोष कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका कि लोक शक्ति संगठन ने क्षेत्र में नारा उछाला है "अपने संसाधनसे अपना जीवन बदलो" एकता और संघर्ष के लिए अपना संगठन बनाओं आदि। ❑

निम्नलिखित सूचि प्रमाण के तौर पर रखे जा रहे हैं। वैसे लगभग 550 गाँवों में ग्राम-कोष है।

लोकशक्ति संगठन जे०पी० ग्राम-बलभद्रपुर, झंझारपुर (आर० एस०) मधुबनी

प्रखण्ड : मधेपुर

ग्राम कोष की सूची

जिला : मधुबनी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
1.	नीमा चैनल उत्तरी	बकुआ	1. बिन्देश्वरी सदाय 2. बदमियाँ देवी	2109	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा-भेजा	2415.00	6800.00	पलायन एवं बिमारी	9215.00
2.	नीमा चैनल दक्षिणी	बकुआ	1. बिन्देश्वरी सदाय 2. लालमैन देवी	211	"	4710.00	1500.00	बिमारी	6210.00
3.	पोखराम	बकुआ	1. भोला सदाय 2. शोभा देवी	2088	"	4564.00	2300.00	पलायन	6864.00
4.	भेलाही	बकुआ	1. म० मंगली 2. सुमित्रा देवी	2096	"	3008.00	600.00	बिमारी	3608.00
5.	बनगाँव	बकुआ	1. कौशल्या देवी 2. कुमा देवी	2201	"	2030.00	2000.00	पलायन/शादी	4030.00
6.	पोखराम नयानगर	बकुआ	1. श्रीचन सदाय 2. दूखनी देवी	2098	"	2837.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	2837.00
7.	कमसरही	बकुआ	1. सुगिया देवी 2. नागो सदाय	2089	"	2908.00	2500.00	पलायन/शादी	5408.00
8.	बकुआ	बकुआ	1. दसनी देवी 2. म० गर्भी	2177	"	2951.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	2951.00

प्रखण्ड : मधेपुर

जिला : मधुबनी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
9.	बकुआ पासवान टोल	बकुआ	1. म० सागर देवी 2. कमला देवी	2176	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा-भेजा	1992.00	1300.00	पलायन	3292.00
10.	बधिनियाँ पूर्वी	बकुआ	1. किशोरी सदाय 2. पनियाँ देवी	2100	"	2910.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	2910.00
11.	बधिनियाँ पश्चिमी	बकुआ	1. कानू सदाय 2. जानकी देवी	2102	"	2847.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	2847.00
12.	सुन्दरपुर	बकुआ	1. जामूनी देवी 2. अरहूल देवी	2101	"	1688.00	2000.00	पलायन	3688.00
13.	सुन्दरी	बकुआ	1. उर्मिला देवी 2. म० सरयूगिया	2283	"	6000.00	3000.00	पलायन एवं शादी	9000.00
14.	सुन्दरी राम	बकुआ	1. म० मूर्ती 2. फूसन राम	2170	"	1000.00	1200.00	पलायन बिमारी	2200.00
15.	भेजा फकिरना खाबेटोल	भेजा	1. सीता देवी 2. सकून्ती देवी	2252	"	3040.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	3040.00
16.	भखराईन	भखराईन	1. सुनेर देवी 2. शिव देवी	8403	कॉपरेटिव बैंक मधेपुर	2910.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	2910.00
17.	सरौनी	महिसाम	1. रीता देवी 2. सुदामा देवी	8412	"	1800.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	1800.00

प्रखण्ड : मधेपुर

जिला : मधुबनी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
18.	महिसाम डीह टोल	महिसाम	1. अमिरका देवी 2. म० बच्चिया देवी	8413	कॉपरेटीव बैंक मधेपुर	2900.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	2900.00
19.	खजूरी	बरसाम	1. जानो देवी 2. रहाना खातून	2251	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2529.00	500.00	विमारी	3029.00
20.	भेजा मल्लाह टोल	भेजा	1. म० संझा 2. बाबा दाय देवी	2254	"	3850.00	800.00	विमारी	4650.00
21.	बांकी	प्रसाद	1. कौशल्या देवी 2. फूलो देवी	3405	मधेपुर कॉपरेटीव बैंक	4610.00	1100.00	विमारी	5710.00
22.	बल्थी	बरसाम	1. कौशल्या देवी 2. मनिअन देवी	2250	मधुबनी क्षे० ग्रा० बैंक, शाखा-भेजा	3054.00	800.00	विमारी	3854.00
23.	रहुआ	रहुआ	1. म० भूल्ली 2. दुर्गी देवी	2061	"	1100.00	1700.00	विमारी/पलायन	2800.00
24.	नीमा हाट टोल	परबलपुर	1. लक्ष्मी सदाय 2. मुनरी देवी	2095	"	1228.00	600.00	विमारी	1828.00
25.	जानकी नगर	द्वालख	1. बाल्मीकी सदाय 2. कौशल्या देवी	6694	कॉपरेटीव बैंक मधेपुर	3895.00	2000.00	विमारी/पलायन	5895.00
26.	परसौनी	द्वालख	1. उमदा देवी 2. बासो देवी	6997	"	1137.00	500.00	विमारी	1637.00

प्रखण्ड : मधेपुर

जिला : मधुबनी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
27.	नीमा उत्तरी	परबलपुर	1. नथूनी सदाय 2. सितली देवी	2094	मधुबनी क्षे० ग्रा० बैंक, शाखा-भेजा	1544.00	500.00	विमारी	2044.00
28.	टोकना टोल	भेजा	1. बौकी देवी 2. रसिकलाल सदाय	1580	"	1945.00	2100.00	विमारी/पलायन	4045.00
29.	भेजा	भेजा	1. सकुन्ती देवी 2. लालमोहर सदाय	1566	"	1200.00	700.00	विमारी	1900.00
30.	रहिका	फटकी	1. संगीता देवी 2. राम बहादुर महतो	1720	मधेपूर कॉपरेटीव बैंक, मधेपुर	11000.00	निकासी नहीं	निकासी नहीं	11000.00
31.	नवटोलिया	फटकी	1. कौशल्या देवी 2. दाना देवी	8405	"	3700.00	600.00	विमारी	4100.00
32.	नोनीया टोल प्रसाद	प्रसाद	1. अड़हूल देवी 2. सिमावती देवी	8474	"	5500.00	400.00	विमारी	5900.00
33.	महिसाम लाईन टोल	महिसाम	1. शान्ति देवी 2. आमना खातून	8431	"	2150.00	300.00	विमारी	2450.00
34.	महिसाम कपर फौड़ा	मसिाम	1. चमेली देवी 2. रामशीला देवी	8546	"	1300.00	600.00	विमारी	1900.00
35.	भखराईन चमार टोल	भखराईन	1. राम प्रसाद 2. राजमनी देवी	8406	"	2530.00	400.00	विमारी	2930.00

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
36.	नयानगर संथाली	1. तारा देवी प०चम्पई मूर्मू 2. मारथा हास्दा प० धनेश्वर हेमब्रम	124354	डाकघर नवहट्टा	5984.00	1000.00	गाँ गए लड़की ढूँढने हेतु बाहर जाने के लिए (धनेश्वर हेमब्रम द्वारा)	4984.00
37.	सरपंच टोल नवहट्टा	1. मनी देवी 2. नीलम देवी	1414	सेन्ट्रल बैंक नवहट्टा	2305.00	850.00	मखाना खेती में सहयोग हेतु	1455.00
38.	धर्मपुर	1. जगमाया देवी 2. त्रिफुल देवी	2590	डाकघर हेमपुर	1668.00	1000.00	विवाह पलायन बिमारी	1686.00
39.	हेमपुर	1. सुगिया देवी 2. सीता देवी	124303	डाकघर हेमपुर	3500.00	3400.00	विवाह पलायन	6900.00
40.	परूहर	1. इन्दु देवी 2. तरिया देवी	187338	डाकघर डूमरा	2891.00	2800.00	विवाह मे4 आदमी को ब्याज पर दिया गया	5691.00
41.	डूमरा	1. दुखनी देवी 2. भूलरी देवी	गांव में खाता	खाता नहीं	4000.00	2600.00	बिमारी	6600.00
42.	शाहपुर (कुमरौली)	1. गायत्री देवी 2. लुटनी देवी	124988	डाकघर कुमरौली	100.00	1000.00	विवाह पलायन	1100.00
43.	खोन्ह	1. सरबसिया देवी 2. मालती देवी	123785	डाकघर एकाढ़	1575.00	1500.00	विवाह मे1 आदमी को ब्याज पर दिया गया	3075.00
44.	तराही	1. अहिल्या देवी 2. कुसुमा देवी	1186	कोशी क्षे०ग्रा०बैंक चन्द्राईन, नवहट्टा	910.00	400.00	ईलाज मे1 आदमी को ब्याज पर दिया गया	1310.00

प्रखण्ड : नवहट्टा

जिला : सहरसा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
45.	तेलवा	तेलवा	1. जासो देवी 2. सुखनी देवी	124007	डाकघर नवहट्टा	3800.00	3500.00	विवाह	7300.00
46.	रघुनाथपुर	वकुनियाँ	1. छठीया देवी 2. भुलरी देवी	123634	बड़हारा	6145.00	4000.00	बिमारी पलायन	10145.00
47.	इँजिनियर टोल	वकुनियाँ	1. संझा देवी 2. पतसीया देवी	123748	बड़हारा	7219.00	5500.00	बिमारी, पलायन, विवाह	12719.00
48.	परताहा	वकुनियाँ	1. दर्शन सदा 2. यशोधिया देवी	123661	बड़हारा	5003.00	4300.00	बिमारी द्विरागमन	9303.00
49.	बड़हारा	बड़हारा	1. गुलाब देवी 2. धनीक लाल साहु	124598	बड़हारा	59182.00	58000.00	कृषि, विवाह, बीमारी	117182.00
50	बरियाही	बरियाही	1. बुचनी देवी 2. विदेशी सादा	4160	कोसी क्षे०ग्रा०बैंक नवहट्टा	3600.00	500.00	पलायन	4100.00
51.	रसलपुर	नौला	1. लखिया देवी 2. श्यामा देवी	25520	भारतीय स्टेट बैंक मोहनपुर	7718.00	4365.00	दुर्घटना, विवाह, बिमारी, पलायन	12083.00
52.	वेलही	नारायणपुर	1. जयमाला देवी 2. सुनैर देवी	398470	पोस्ट ऑफीस कुन्दह	5416.00	1000.00	बिमारी	6416.00
53.	नारायणपुर हरिपुर टोला	नौला	1. सेविया देवी 2. फुदनी देवी	398574	पोस्ट ऑफीस नारायणपुर	7265.00	4265.00	पलायन, बिमारी, विवाह	11530.00

प्रखण्ड : नवहट्टा

जिला : सहरसा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
54.	लालपुर	नौला	1. अनुपी देवी 2. फुलिया देवी	1707	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, जमालपुर	1566.00	2000.00	विवाह	3566.00
55.	नौला	नौला	1. फुलेश्वरी देवी 2. बुचिया देवी	123435	पो० ऑ० डरहार	5128.00	1200.00	बिमारी, पलायन	6328.00
56.	सितली	डरहार	1. अरहुलिया देवी 2. दायरानी देवी	123535	पो०ऑ०, डरहार	5320.00	1200.00	बिमारी	6520.00
57.	बकुनियाँ पूर्वी	बकुनियाँ	1. फुलिया देवी 2. सुवध सादा देवी	123630	पो०ऑ०, बड़हार	9745.00	9000.00	विवाह, बिमारी पलायन	18745.00
58.	बकुनियाँ विचली	बकुनियाँ	1. मीना देवी 2. सोनाई सादा	123654	पो०ऑ०, बड़हार	3000.00	3000.00	बिमारी, पलायन	6000.00
59.	कॉलेज टोल	बकुनियाँ	1. लुखिया देवी 2. शकुनताला देवी	125410	पो०ऑ०, बड़हार	1300.00	2900.00	कृषि	4200.00
60.	कटियाही	हाटी	1. चाँदनी देवी 2. पारो देवी	123755	पो०ऑ०, बड़हार	13669.00	6500.00	दुर्घटना, बिमारी, विवाह	20169.00
61.	देवका	हाटी	1. रेशमा देवी 2. शकुन्तला देवी	3910	कोशी क्षे०ग्रा० बैंक नहवहट्टा	11593.00	9638.00	शादी, पलायन बिमारी, मुकदमा	21231.00
62.	धोबियाही	केदली	1. सैनी सदा 2. म० कुशमा	4116	कोशी क्षे०ग्रा० बैंक नहवहट्टा	12939.00	9850.00	बमारी, पलायन शादी	22789.00

प्रखण्ड : नवहट्टा

जिला : सहरसा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
63.	रामपुर	केदली	1. छोटे लाल राम 2. सुजान देवी	4177	कोशी क्षे०ग्रा० बैंक, नवहट्टा	9488.00	3300.00	बिमारी, शादी, पलायन	12788.00
64.	असई	केदली	1. सीता राम 2. अमला देवी	4185	कोशी क्षे०ग्रा० बैंक, नवहट्टा	16192.00	5000.00	बिमारी, शादी, पलायन	21192.00
65.	भेलाही	साहपुर	1. सोनिया देवी 2. शकुन्ती देवी	123743	पोस्ट ऑफीस, बड़हारा	7205.00	5665.00	बिमारी, शादी, पलायन	12870.00

प्रखण्ड : घनश्यामपुर

जिला : दरभंगा

66.	गोसाई पोखर	कोर्थु पूर्वी	1. दीपक कुमार सदा	1831	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक कोर्थु	1000.00	2000.00	बिमारी	3000.00
67.	उत्तरवाड़ी टोला	कोर्थु पूर्वी	1. भीखन तांती 2. फुलिया देवी	1112	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक कोर्थु	2000.00	3000.00	पलायन	5000.00
68	उसराही सुपौल	तुमौल	1. मलभोगीया देवी 2. धुरनी देवी	1775	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक परड़ी	11760.00	500.00	बिमारी	12260.00
69.	पोहदी बेला	पोहदी बेला	1. उर्मिला देवी 2. रामरती देवी		मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक परड़ी	1000.00	300.00	बिमारी	11300.00
70.	पाली	पाली	1. गंगीया देवी 2. विन्दा देवी	650871	डाकघर पाली	13141.00	200.00	बिमारी	13341.00

प्रखण्ड : घनश्यामपुर

जिला : दरभंगा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
71.	महथवार उत्तरी मुसहरी	महथवार घनश्यामपुर	1. कुसमा देवी 2.जोमनी देवी	26995	भारतीय स्टेट बैंक घनश्यामपुर	802.00	5000.00	पलायन	5802.00
72.	महथवार नोनियाँ टोल	महथवार घनश्यामपुर	1. बच्चा देवी 2. कर्पूरिया देवी	26994	"	1000.00	6000.00	बिमारी	7000.00
73.	महथवार पूर्वी टोल	महथवार घनश्यामपुर	1. दुखनी देवी	2662	"	1480.00	4400.00	पलायन	5880.00
74.	लगमा भवसागर टोल	लगमा	1. मुसनी देवी 2. मंजूल देवी	27043	"	3045.00	800.00	बिमारी	3845.00
75.	लगमा पूर्वी टोल	लगमा	1. गीता देवी 2. रासो देवी	650874	डाकघर रसियारी	1650.00	500.00	बिमारी	2150.00
76	गोढ़ैल मुशहरी	तुमौल	1. करियाही देवी 2. दाईसूरैन देवी	53	परड़ीजद पट्टी	250.00	3000.00	पलायन	3250.00
77.	असमा मुशहरी	असमा	1. टूसिया देवी 2. राम प्रसाद सदा	6508	रसियारी डाकघर	2000.00	500.00	विवाह (बेटी)	2500.00

प्रखण्ड : किरतपुर

जिला : दरभंगा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
79.	छिलकोड़ा	रसियारी पौनी	1. सुदामा देवी 2. मोती सदा	7011	कॉऑपरेटिव बैंक मधेपुर	2000.00	800.00	शादी, विवाह	2800.00
80.	किरतपुर (चनपकड़िया)	किरतपुर	1. उमेश सदा 2. ठकनी देवी	1865	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, रसियारी	3200.00	0	पलायन	3200.00
81.	बबनाहा	रसियारी पौनी	1. सरयुग सदा 2. गीता देवी	1879	"	1295.00	1000.00	पलायन	2295.00
82.	सिरसिया	रसियारी पौनी	1. जीतन सदा 2. गौड़ी देवी	6992	कॉऑपरेटिव बैंक मधेपुर	1000.00	900.00	विवाह	1900.00
83.	पौनी	रसियारी पौनी	1. दहौरी देवी 2. पावो देवी	2071	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, रसियारी	16000.00	2000.00	पलायन	18000.00
84.	झगरूआ (पुनर्वास)	झगरूआ	1. बिन्देश्वर सदा 2. मंगली देवी	7022	कॉऑपरेटिव बैंक मधेपुर	1300.00	1500.00	बीमारी	1800.00
85.	तड़वारा	झगरूआ तड़वारा	1. पानो देवी 2. सुनैर देवी	650826	डाकघर तड़वारा	1700.00	1300.00	जमीन, संघर्ष	3000.00
86.	तेतरी	कुबौल ढाँगा	1. गुणी देवी 2. कलावती देवी	7023	कॉऑपरेटिव बैंक मधेपुर	700.00	0	पलायन	700.00
87.	कुबौल	कुबौल ढाँगा	1. अर्जुण सदा 2. चन्द्रकला देवी	7024	कॉऑपरेटिव बैंक मधेपुर	1500.00	1000.00	पलायन	2500.00

प्रखण्ड : किरतपुर

जिला : दरभंगा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
88.	भूभौल	कुबौल ढाँगा	1. फूल देवी 2. चानो देवी	1478	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, जमालपुर	1700.00	1200.00	जमीन, संघर्ष	2900.00
89.	सिरनियाँ	कुबौल ढाँगा	1. सुमित्रा देवी 2. सीता देवी	650829	डाकघर तड़वारा	950.00	0	बीमारी	950.00
90.	बघरस (मुशहरी)	कुबौल ढाँगा	1. रेविया देवी 2. देवकी देवी	1915	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, रसियारी	1000.00	500.00	पलायन	1500.00
91.	बघरस (रामटोल)	कुबौल ढाँगा	1. शकुन्ती देवी 2. चन्दर देवी	1916	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, रसियारी	1200.00	1000.00	बीमारी	2200.00
92.	कुर्शाहा (मुशहरी)	कुबौल ढाँगा	1. रामवती देवी 2. सज्जन सदा	7108	कॉऔपरेटिव बैंक मधेपुर	900.00	0	पलायन	900.00
93.	डाका भलुआहा	झगरूआ तड़वारा	1. जलेश्वरी देवी 2. रामेश्वरी देवी	650827	डाकघर तड़वारा	1100.00	900.00	पलायन	2000.00
प्रखण्ड : अलीनगर									जिला : दरभंगा
94.	अलीनगर	अलीनगर	1. बुधीया देवी 2. बुच्ची देवी	176595	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, अलीनगर	2000.00	1000.00	पलायन	3000.00
95.	अलीनगर	अलीनगर	1. सुमित्रा देवी 2. सुधिरा देवी	176595	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, अलीनगर	2525.00	1500.00	पलायन	4025.00

प्रखण्ड : अलीनगर

जिला : दरभंगा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
96.	हरसिंहपुर	हरसिंहपुर	1. सीता देवी 2. भालेसरी देवी	उपलब्ध नहीं	पो० ऑ० हरसिंहपुर	2595.00	1605.00	विवाह	4200.00
97.	लीलपुर	हनुमान नगर	1. शारदा देवी 2. गंगीया देवी	उपलब्ध नहीं	हनुमान नगर	7000.00	2000.00	पलायन	9000.00
98.	तुलापट्टी	नरमा नवानगर	1. मुखनी देवी 2. सुलेखा देवी	438044 95	डाकघर नरमा	2000.00	4000.00	पलायन	6000.00
99.	नरमा	नरमा नवानगर	1. सरो देवी 2. शोभा देवी	438042 438043	डाकघर नरमा	2260.00	200.00	पलायन	2460.00
100.	श्यामपुर	नरमा नवानगर	1. रामदाय देवी 2. द्रोपती देवी	1760 95	मिथिला क्षे०ग्रा० बैंक, अलीनगर	1211.00	3600.00	पलायन	4811.00
प्रखण्ड : महिषी									जिला : सहरसा
101.	बलिया सिमर	कुन्दह	1. सरस्वती देवी 2. चन्द्रिका देवी	399817	कुन्दह	1250.00	0	0	1250.00
102.	प्राणपुर	कुन्दह	1. मदन सादा 2. गहनी देवी	399824	कुन्दह	850.00	0	0	850.00
103.	कुन्दह	कुन्दह	1. सरस्वती देवी 2. अनार देवी	399818	कुन्दह	500.00	0	0	500.00

प्रखण्ड : महिषी

जिला : सहरसा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
104.	सिरबार गाँव	सिरबार बीरबार	1. पाँचो देवी 2. अरहुलिया देवी	287358	रजनपुर	300.00	0	0	300.00
105.	कुन्दह	कुन्दह	1. रेणु गुप्ता 2. कविता देवी	399833	कुन्दह	300.00	0	0	300.00
106.	विशनपुर	राजनपुर	1. चनियाँ देवी 2. सोमनी देवी	287352	रजनपुर	780.00	0	0	780.00
107.	रामपुर पूर्णवास	राजनपुर	1. गीता देवी 2. फैकनी देवी	287351	रजनपुर	500.00	0	0	500.00
108.	कोहबरवा	राजनुपर	1. लक्ष्मी देवी 2. मीना देवी	287357	रजनपुर	500.00	0	0	500.00
109.	ऐना	ऐना	1. विन्दा देवी 2. अनन्दी देवी	उपलब्ध नहीं	ऐना	700.00	0	0	700.00
110.	बिहना	झाड़ा	1. पचिया देवी 2 सुनैना देवी	उपलब्ध नहीं	सिसौना	600.00	0	0	600.00
111.	सिसौना	झाड़ा	1. विन्दा देवी 2. सिन्दूर देवी	उपलब्ध नहीं	सिसौना	300.00	0	0	300.00
112.	थनवार	आराट्टी	1. रामरती देवी 2. बिन्दा देवी	399838	भेलाही	300.00	0	0	300.00

प्रखण्ड : महिषी

जिला : सहरसा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
113.	भेलाही	भेलाही	1. अनिला देवी 2. वीणा देवी	399839	भेलाही	360.00	0	0	360.00
प्रखण्ड : मरौना									जिला : सूपौल
114.	मरौना	कमरेल	1. डोमनी दवी 2. वीरेन्द्र राम	3622	कोशी क्षे०ग्रा० बैंक, मरौना	3400.00	1700.00	पलायन	3400.00
115.	हरड़ी	हरड़ी	1. पवित्रा देवी 2. मंजू देवी	3621	कोशी क्षे०ग्रा० बैंक, मरौना	300.00	1500.00	बिमारी	1800.00
116.	कुशमौल	कुशमौल	1. रामपरी देवी 2. लुखी देवी	8480	मलुआड़ी	3060.00	1100.00	पलायन	4160.00
117.	दानापुर	हड़री	1. धर्ममीषा देवी 2. मीना देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	2000.00	1500.00	पलायन	3500.00
118.	जमुवाँराही	कमरैल	1. अमीरका देवी 2. रीता देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	4000.00	1800.00	पलायन	5800.00
119.	पंचमिन्डा	हड़री	1. विमषा देवी 2. राम कुमारी देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	2000.00	600.00	पलायन	2600.00
120.	ब्रहमोतर	हड़री	1. कारो देवी 2. मीना देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	1500.00	1000.00	विवाह	2500.00

प्रखण्ड : मरौना

जिला : सूपौल

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
121.	दानापुर	हड़री	1. झलिया देवी 2. डोमनी देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	2000.00	1500.00	पलायन	3500.00
122.	दानापुर (हरिजन टोला)	हड़री	1. सुमिता दवी 2. उर्मिला देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	3500.00	3200.00	पलायन	6700.00
123.	परसौनी (हरिजन टोला)	गोनौरा	1. पनमा देवी 2. रूनियाँ देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	2040.00	2000.00	पलायन	4040.00
124.	परसौनी	गोनौरा	1. मंजू देवी 2. कविता देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	1000.00	400.00	बिमारी	1400.00
125.	ब्रहमोतर (हरिजन टोला)	हड़री	1. रेशमा देवी 2. दुलारी देवी	उपलब्ध नहीं	गांव में	2000.00	1000.00	विवाह	3000.00
प्रखण्ड : झंझारपुर								जिला : मधुबनी	
126.	परतापुर		1. धनबनती देवी 2. धनेश्वरी देवी	395231	डाकघर, झंझारपुर बाजार	500.00	0	0	500.00
127.	कन्हौली		1. गंगीया देवी 2. मलभोगीया देवी	2103	ग्रा०बैंक, झंझारपुर	1000.00	500.00	बिमारी	1500.00
128.	अमराहा		1. भूली देवी 2. रामपरी देवी	598032	डाकघर, नरूआर	4000.00	2000.00	विवाह	6000.00

प्रखण्ड : झंझारपुर

जिला : मधुबनी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
129.	बिसौल	1. शिव कुमार मंडल 2. देवनारायण यादव	उपलब्ध नहीं	डाकघर, सुखेत	200.00	0	0	200.00
130.	सुखेत राय टोल	1. बबीता दवी 2. रमरतीया देवी	395233	डाकघर, झंझारपुर	3500.00	1000.00	पलायन	4500.00
131.	सुखेत गोर	1. शान्ती देवी 2. भुल्ली देवी	2104	ग्रा०बैं०, झंझारपुर	1000.00	0	0	1000.00
132.	अररिया	1. भुलकी देवी 2. शसो देवी	806098	डाकघर, धरअररिया	1500.00	0	0	1500.00
133.	मोहना	1. किसनी देवी 2. जहरी देवी	395234	डाकघर, सिमरा	3500.00	0	0	3500.00
134.	सिमरा कोलनी	1. रधिया देवी 2. लुखिया देवी		डाकघर, सिमरा	2000.00	0	0	2000.00
135.	बेलाराही	1. बिन्दा देवी 2. विन्देश्वरी देवी	2107	ग्रा०बै०, झंझारपुर	3800.00	0	0	3800.00
136.	गोधनपुर	1. जीवछी देवी 2. कमली देवी	896	ग्रा० बैं०, दीप	4000.00	2000.00	पलायन	6000.00
137.	गोधनपुर खतबे थेले	1. दुर्गी देवी 2. युगेश्वरी देवी	897	ग्रा० बैं०, दीप	3200.00	2000.00	पलायन	6200.00

प्रखण्ड : झंझारपुर जिला : मधुबनी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत	खाताधारी का नाम	खाता संख्या	बैंक/डाकघर का नाम	जमा राशि	निकासी राशि	उपयोगमद	कुल राशि
138.	सर्वशीमा मु०		1. परमेश्वरी देवी 2. सुकमारी देवी	598034	डाकघर, लोहना	1000.00	700.00	बिमारी	1700.00
139.	सर्वशीमा राय टोल		1. रेशमा दवी 2. अरहुलिया देवी	598033	डाकघर, लोहना	2000.00	0	0	2000.00
140.	लोहना पुरब टोल		1. दाही देवी 2. बिलटी देवी	598036	डाकघर, लोहना	700.00	0	0	700.00
141.	नरूआर		1. दाही देवी 2. बिलटी देवी	598035	डाकघर, नरूआर	3080.00	1000.00	विवाह	4080.00
142.	चनौरा गंज		1. बुधनी देवी 2. सुजान देवी	395235	डाकघर, सिमरा	900.00	0	0	900.00
143.	महेशपुर		1. शिवकला देवी 2. मंजु देवी	5767	पंजाब नेशनल बैंक, झंझारपुर	2000.00	500.00	बिमारी	2500.00
प्रखण्ड : महिषी									जिला : सहरसा
144.	थनवार	भेलाही	1. बीमला देवी 2. सरस्वती देवी	399837	भेलाही	1000.00	0	0	1000.00

ग्राम कोष में अनाज एकत्रित करती हुई दैयाखरबार (मधुबनी) की महिलाएँ

ग्राम कोष से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन

लोकशक्ति संगठन बिहार का डक्यूमेन्टरी रपट बताता है कि किसी ग्राम विशेष में ग्राम कोष स्थापना के बाद महाजनों के जाल कमजोर हुये है, छोटे-मोटे कार्यो के लिए सरकार पर निर्भरता घटी है, स्वास्थ्य चेतना जगी है, रहन सहन के स्तर में तब्दीली आयी है, सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध बढ़ा है तथा औरतों की इज्जत में इजाफा हुआ है। अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के देश कम हुये हैं। सब कुछ मजे से चल रहे हैं। किसी को कमाने वास्ते परदेश जाना है, ग्राम कोष कमिटी निर्णय लिया। तय यात्रा व्यय राशि कौष से निकला तथा आवेदक को दे दिया गया। कमाई से उसकी पुर्नवासी हुई। चापाकल बिगड़ गया है। कमिटी ने निर्णय लिया। खाता से राशि निकली एवं चापाकल सुधारा गया। फिर मार्फत चंदा राशि उगाह कर निकले फंड की भरपाई कर दी गयी। कोई गंभीर बिमार पड़ा। कोष से निकालकर उसका इलाज करवाया गया। ठीक होने पर व उस परिवार के दूसरे "कमाऊपूत" की कमाई से उसकी वसूली होती जाती है। कभी कोई व्यवधान नहीं, किच-किच नहीं महाजनों का निहोरा नहीं और आत्मविश्वास तथा सामाजिक दायित्व बोध में बढ़ोत्तरी अलग से लक्षण बताते हैं कि ग्रामीण इसे अपना बैंक और अपनी राशि मानते है तथा अपनी सम्पत्ती की तरह संजों रहे हैं। इस तरह कभी 5 गांवों से शुरू ग्राम कोष का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल 550 गांवों में आगे 1000 गांवों में सम्भावित है। ❑

22 मार्च 1994 नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली

गरीबों का एक अनूठा 'ग्राम कोष'

मुकुल - मधुबनी (बिहार), 21 मार्च। हर गांव का 'ग्राम कोष' एक अनूठा आन्दोलन है, जो उत्तर बिहार के मधुबनी जिले के 80 से ज्यादा गांवों में जोर पकड़ रहा है। आन्दोलन का उद्देश्य है कि गांव के गरीब अपने संसाधनों से अपना आर्थिक कोष बनायें। इस प्रकार वे एक ओर भूस्वामियों और सूदखोरों के चंगुल, तो दूसरी ओर सरकार और संस्थाओं पर निर्भरता से मुक्त हो पायेंगे।

ग्राम कोष एक वैकल्पिक ग्रामीण बैंक भी है। जहां कई सरकारी-सहकारी बैंक कई अनियमितताओं, बढ़ते हुए प्रशासनिक खर्चों और कर्ज वापसी की जार समस्याओं में घिरे हुए हैं, वहां पिछले दो सालों से ग्राम कोष अपने सीमित संसाधनों में कर्ज के वितरण और वापसी में सौ प्रतिशत सफल साबित हो रहा है। यह कोष ग्रामीण गरीबों के संगठन और संघर्ष का एक माध्यम भी है, जिससे आर्थिक रूप से असहाय और असंगठित समूह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की लंबी लड़ाई के लिए तैयार हों।

दीपक भारती

वास्तव में मधुबनी जिले के मधेपुर और लखनौर प्रखंड में पिछले कुछ सालों में लोक शक्ति संगठन के नेतृत्व में मुसहरों के बीच संगठन और संघर्ष निर्माण की निरंतर प्रक्रिया में ही ग्राम कोष की शुरूआत हुई है। इसलिए हम गांव-गांव यही सुनते हैं, 'लोक शक्ति संगठन का ग्राम कोष।'

मधुबनी के मुसहर गरीब-पिछड़े समुदायों में भी सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। व पूरी तरह भूमिहीन है और कृषि या प्रवासी मजदूरी पर आश्रित हैं। वे अकुशल है और उत्पादक संसाधनों से वंचित हैं। वे कमाने-खाने के लिए हर साल कई महीने पंजाब या हरियाणा के खोतों में काम करने जाते है। और सदियों से शोषण और आतंक सहते-सहते अपनी स्थितियों के प्रति उदासीन हो गये हैं।

संगठन का अनुभव था कि हर मुसहर और उनका परिवार कर्ज में कैद है। वह इतना तंग और फटेहाल है कि कभी पंजाब या हरियाणा का टिकट कटाने के लिए, तो कभी बीमारी के इलाज के लिए भूस्वामियों या सूदखोरों की शरण में आता है। वह ऐसी आदतों का भी शिकार है कि गाढ़ी कमाई के पैसे जुए या शराब में गंवा देता है। शोषण की श्रृंखलाएं कई हैं, पर यह एक स्थिति मुसहरों के लिए एक प्रकार का मकड़जाल है जिसमें एक बार फंसकर वे कई और परेशानियों में फंसते जाते है।

झंझारपुर में संगठन के नौजवान संयोजक दीपक भारती के अनुसार मुसहरों की असहाय स्थिति का एक अन्य उल्लेखनीय पक्ष है। ऐसा नहीं है कि मुसहरों के सामाजिक-आर्थिक विकास की सरकारी या स्वैच्छिक कोशिशें पहले नहीं हुई। सड़क, चापाकल, गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम लागू हुए, पर ये सारे शत-प्रतिशत असफल हुएं ये लोग ग्रामीण सरकारी या गैर-सरकारी

संस्थाओं पर और ये सभी संस्थाएं लाखों-करोड़ों रुपये की योजनाओं पर निर्भर होती गयी। ये योजनाएं शोषण की पुरानी व्यवस्थाओं को और पुख्ता करती गयी। और मुसहर हमेशा की तरह निष्क्रिय और उदासीन बने रहे।

इन स्थितियों में मुसहर गांवों में ग्राम कोष की परिकल्पना की गयी। गांव का हर परिवार हर माह पांच रुपये जमा करे। गांव के एक पुरूष और एक महिला मिलकर कोष के संचालन की जिम्मेवारी उठायें और नजदीकी डाकघर या बैंक में गांव का खाता खोलें। हर परिवार को अपना-अपना खाता भी सौंपें। और जब किसी परिवार की जरूरत आती है तो वह दो प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर एक साल, छः या-तीन माह के लिए कर्ज ले सकता है। कोष का संदेश सरलतापूर्वक संप्रेषित किया गया: अपनी जिन्दगी अपने साधनों से बेहतर बनायें। अपना संगठन और ताकत बनायें। हर रोज केवल 17 पैसे बचायें।

ग्राम कोष जनवरी 1992 में 20 गांवों में शुरू हुआ। और बढ़ते-बढ़ते कुल 84 गांवों में पहुंच गया है। कई गांवों के कोष में अब तक चार-पांच हजार रुपये जमा हो गये हैं। ग्रामीण के खाते देखिये, तो पता चलता है कि उन्होंने दिल्ली, पंजाब जाने के लिए, दवा खरीदने या घर बनाने, जैसी जरूरतों के लिए कर्ज लिये हैं और बिना नागा हर माह कर्ज वापसी की किश्तें जमा कर रहे हैं। दीपक भारती दावा करते हैं कि कर्ज अदायगी की दर शत प्रतिशत है। कई गांवों के कई घर निर्धारित मासिक किश्त से भी ज्यादा जमा कर रहे हैं। ग्राम कोष की लोकप्रियता बाढ़ रही है और नये-नये गांव अपना कोष स्थापित करने की पहलकदमी कर रहे हैं।

ग्राम कोष के गांवों की सूची बेहद लंबी है- सोहराय मुसहरी, पथराही, हसौली, कसियाम, अन्धरा, कमलदाहा, आदि-आदि। ग्रामीणों की अभिव्यक्ति काफी विविध है। गांव खैरी में ग्राम कोष का काम चलानेवाली तिलया देवी कहती हैं कि अब गांव के सारे 55 मुसहर परिवार कोष में शामिल हैं। पहले भूस्वामी मजाक उड़ाते थे, अब हमारी बात सुनते हैं। सोहराई ब्रहमोत्रा टोला की प्रिया देवी कहती हैं कि गांव के बड़े लोग हमेशा हम पर दबाव डालते थे। कर्ज के लिए चिरौरी करनी पड़ती थी। ग्राम कोष के कारण यह स्थिति नहीं रही है। हमने संगठन बनाकर जवाब दिया है। अब बड़े लोगों के सामने हाथ नहीं पसारते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि समूचे इलाके में ग्राम कोष की स्थापना और संचालन में महिलाओं की भी अग्रणी भूमिका है। तिलया देवी, अम्रिका देवी, प्रिया देवी जैसी कई महिलाएं हैं जो अपने-अपने गांवों में ग्राम कोष का काम संभाल रही हैं। ग्राम कोष के बैंक खाते पुरूष और महिला के संयुक्त नाम पर इसलिए हैं कि शराबखोरी, जुए आदि के लिए कोष के दुरूपयोग पर महिला का नियंत्रण रहे।

कोष का एक प्रभाव तो स्पष्ट है कि मुसहरों में सूदखोरी और बेगार समाप्त हो रहे हैं। पहले भूस्वामी और सूदखोर 6 से 12 रुपये प्रति सैकड़ा सूद लेते थे।

संगठन के अनुसार अभी तक ग्राम कोष का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है, केवल कर्ज अदायगी को लेकर कुछ मामूली परेशानियां आती हैं। पर कोष के कामकाज की प्रकृति सीमित है। यह केवल कर्ज देता है, पर कर्ज लेने की स्थितियां नहीं बदलता है। इसलिए संगठन की सोच है कि जब एक साल में ग्राम कोष पर्याप्त मजबूत हो जाये, तब-उसे ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से जोड़ा जाये। ●

TUESDAY, NOVEMBER 8, 1994, THE TIMES OF INDIA, PATNA-3

Seventeen paise a day sets off a rural banking revolution

By Pranava K. Chaudhary : The times of India News Service Patna, Nov. 7: Establishing a gram kosh in each village is something like a movement in the poverty-striken northern parts of Bihar.

Starting in 20 Musahar-dominated villages in January. 1992. it has now spread to alomost 200 villages of Darbhanga and Madhubani districts where the landless agrcultural labourers have been success agricultural labourers have been successfully running it through their own contribution.

The concept of this fund is quite simple. In every village each family contributes five rupees a month. One man and one woman in each village jointly take responsibility of the fund and thus open an account in the nearby post office or bank. Then every family gets its own pass book. And when the need arises, any family can take a loan for one year, six or three months on a two per cent monthly interest rate.

The funds motto addresses itself to the rural poor: "Change life by your own resources. Make your own organisation for unity and struggle. Save 17 paise everyday". A local bank offical in Madhapur village, who has been dealing with some of the village fund accounts for the last one year savs. "The village fund are proving to bean alternative rural bank in this area. Whereas the rural cooperative banks have proved inefficient, surrounded by constan,l allegations of innumerable irregularities and corruption, the village fund seems hundred per cen succeesful in terms or disbursing loans and geting back this amount".

Tilaya Devi and Asharfi Saday of Kheri village have been associated with *gram kosh* since its inception. She narrates her experience. "initially all families were not members of the *kosh*. Landowners also made fun of our ,initatives. But now all the 55 families have become members. and the landowners have also started listening to our point of view".

Tilaya Devi further recollects that in the initial period there were some difficulties in collecting money. But now the rate of monthly deposit and return of loan is hundred percent. In some comes the families are even returning a higher amount every month.

The village fund of Kheri. Sohrai. Mushahari. Pathrahl, Hashuli, Kahyam shows the village-wise collection of more than Rs. 4,000. The individual pass books also show that families are taking loans for day-to-day survival like purchasing food grains or medicine. train tickets for Pubjab, repairing house and the like.

In Sohari village, Jagdish Sadai, a landles agricultural labourer, aserts: "I don't have to bend my knees before the landowner to get a few rupees to buy railway tickets. One also does not feel the pressure of working in their fields".

In Sohrai village, villagers have repaired their handpumps from the *kosh* money whereas in Daiya Kharwar bandh village they had a 10-year old Musahar girl medically treated and spent more than Rs. 500.

In order to encourage the villagers to deposit the amount in the village fund, the district magistrate of Madhubani district, Mr. S. Shiv Kumar, in a letter to all the branch managers of nationalised banks and post masters located in different parts, advised them to encourage the villagers to deposit 17 paise every day or kind for their self-sufficiency. He forwarded this letter to all the bankers on September 21, 1994 saying that it has already begun in several villages.

A mass organisation of the rural poor in Madhubani district, called *Lok Shakti Sangathan* has organised the *gram kosh*. The Sangathan inspired by the ideals of Loknayak Jayaprakash Narayan look upon itself the task to fight against many social evils and create conditions for equality and unity.

When contacted the convenor of the Sangathan, Mr. Deepak Bharati, explained that so far 36,000 families are covered under the *gram kosh*. "We experienced that almost every family was tied in debt. They were so scared and helpless that they could non open their mouth against non-payment of minimum wages, or social oppression", he said. The rural poor had also fallen easy prey to other evils, like liquor and gambling and they were also quite indifferent towards their pathetic situation he said.

"We have to make this programme successful in the whole of Bihar, as a movement", he said. He has also written a letter in the Prime Minister, Mr. P.V. Narsimha Rao linking up with the Mahila Samrith Yojana. ●

नव भारत टाइम्स महानगर

पटना, बुधवार : 6 नवम्बर 1994 पृष्ट-1

ग्राम कोष जबर्दस्त आन्दोलन बना

रतन रवि : झंझारपुर (मधुबनी), 15 नवम्बर। सामाजिक-आर्थिक बदलाव बाबत इलाके में ग्राम कोष ने फिलहाल एक जबर्दस्त आन्दोलन का रूप ले लिया है। गरीबी को जड़ से उखाड़ने वाली अहिंसक गतिविधियों में इसका उपयोग करना इस अभियान का मूल उद्देश्य माना जा रहा है।

लोक शक्ति संगठन नामक एक जनसंगठन ने इलाके में बतौर प्रयोग पहले मात्र 20 गांवों में ग्राम कोष स्थापना की थी। अब बिहार के 4 जिलों के तकरीबन 200 गांवों में यह आन्दोलन पसर चुका है। इसकी बहुद्देशीय उपलब्धियों से प्रभावित अन्य दर्जनों गांव इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। स्वत: स्फूर्त आन्दोलन फायदे को देख, सुन और महसूस कर मधुबनी के जिलाधिकारी एस. शिवकुमार ने क्षेत्र के सभी डाकघरों एवं बैंकों को अपने यहां ग्राम कोष खाता खोलने और इस अच्छे आन्दोलन में सहयोग करने का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी इसके प्रति रूझान बढ़ी है और इससे जुड़े अच्छे लोग इसे सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का बेहतर औजार मानने लगे है।

ग्राम कोष की अवधारणा साधारण है। ग्रामीण एक दिन बैठते है। अपने सामर्थ्य और उपलब्ध संसाधन से अपने विकास हेतु अपनेतया सोचते हैं। लोक शक्ति संगठन के अनुभवी साथी एक सीमित हद तक उनका समन्वय करते हैं। यही से प्रतिदिन 17 पैसे या एक मुट्ठी अनाज या प्रतिमाह पांच रुपया जमा करने का सिलसिला शुरू होता है। ग्रामीण अपने बीच की 2 महिलाओं को कोष संचालन हेतु चुनते है। ये महिलाएं संयुक्त रूप से कोष खाता का संचालन करती हैं और इन पर ही घर-घर जाकर कोष जमा करने का दायित्व रहता है। यह राशि नजदीक के डाकघरों या बैंकों में जमा रहती है।

ग्राम कोष एक वैकल्पिक ग्रामीण बैंक की भूमिका में भी सामने आ रहा है। पिछले 2 सालों के दौरान ग्राम कोष अपने सीमित संसाधनों के बाद भी ऋण वितरण और वापसी में

शत-प्रतिशत खड़ा उतर रहा है। कोष के सदस्य कमाई के लिए बाहर जाते समय बीमारी इलाज के दौरान या अन्य सार्वजनिक हित के लिए कोष से कर्ज लेते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद 2 प्रतिशत के न्यूनतम ब्याज के साथ लौटा देते हैं। स्थापना काल से आज तक ऐसा नहीं सुना गया है कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति ने ऋण लौटाने में आनाकानी की हो या कहीं ग्राम कोष भंग हुआ है। इसके विपरीत कोष में अप्रत्याशित वृद्धि की खबरें आ रही हैं।

क्षेत्र में इस अनूठे आन्दोलन के सूत्रधार और योजनाकार दीपक भारती ग्राम कोष की आशातीत उपलब्धि से खासे उत्साहित दिखते हैं। इस बाबत उनका अपना निजी अनुभव और सोच के तहत संघर्ष करने का लम्बा इतिहास भी है। वे स्वयं भी गांवों के महाजनों की कभी न टूटने वाली 'शोषण कड़ी' का शिकार रहे हैं। बतौर कर्ज में प्राप्त मात्र 70 रुपयों से चाय, मसालें एवं नीले पैकेटों का पार्ट टाइम व्यापार करके उन्होंने महाजनों के सच को पहचाना था। फिर बतौर छात्र नेता, पत्रकार और गांव में जन्म लेने, पलने एवं गांवों को ही कार्यक्षेत्र बनाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की विसंगतियों से रूबरू होने का उन्हें मौका मिला। उन्होंने निकट से महसूस किया है कि किस तरह महाजन और उसके बिचौलिये गांव के सरल जीवन को नरक में तब्दील करते हैं और किस तरह गरीब कर्ज के मकड़जाल में फंस कर उनके बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर होते हैं और किस तरह अपने बच्चों और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण को 'भाग्य विधान' या प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा देते हैं। इन सब गलत परम्परा की जड़ में महाजनों से लिया जाने वाला कर्ज है जो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में सुरसा की तरह बढ़ता है और विभिन्न तरह की गलत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पाखंडपूर्ण मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों को जन्म देता है। इन निजी अनुभवों के विश्लेषण करते समय ग्राम कोष स्थापना की बात उनके दिमाग में आयी थी।

ग्राम कोष की स्थपना और सरजमीन पर इससे प्राप्त लाभ से संतुष्ट होने के प्रत्यत्तर में भारती जी का कहना था कि वे इस आन्दोलन को क्रमिक रूप से बिहार और देश स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। उनके साथ इस योजना पर बातचीत करने की इच्छा रखते हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग की संस्था 'कपार्ट' ने इस योजना को सिद्धांतत: सराहा है।

ग्राम कोष से अब तक मिली कुछ प्रमुख सफलताओं को रेखांकित करते हुए दीपक भारती ने बताया कि सिरपुर और दरभंगा गांवों में ग्राम कोष की सहायता से तालाबों की बन्दोबस्ती ली है और मछली पालन कर अपने आर्थिक उन्नयन में लगे हैं। हसौली में ग्राम कोष के जरिये न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर 10 महीनों तक असहयोग आन्दोलन चला था। उस समय वहां के ग्राम कोष में मात्र 5 हजार रुपये और 5 मन अनाज थे।

ग्राम कोष की सफलता के बाद अपनी भावी योजना के सम्बन्ध में उनका कहना था कि ग्राम कोष दूसरे अर्थ में गरीबों के संगठन की नींव भी है। जहां संगठन है वहीं ग्राम कोष की स्थापना होती है और सामूहिक निर्णयों के कारण बहुत सी सामजिक बुराइयों की नियमित किया जाता है। उनकी इच्छा है कि उनका लोकशक्ति संगठन गांव के संसाधन से ग्राम का विकास और गांव के सत्ता गांव के हाल जैसे अगले आन्दोलन में मददगार साबित हो। ●

आवाज, शनिवार, दिनांक 22 जून 1996 क्षेत्रीय ज्वलंत मुद्दे

बिहार के चार जिलों में शोषणमुक्त व्यवस्था के लिए अनूठा प्रयोग ग्राम कोष आंदोलन

जे.पी. ग्राम इंद्रेश्वरपुर में अवस्थित लोक शक्ति संगठन भवन कार्यालय को अज्ञात लोगों द्वारा रात में गत 20 अप्रैल 1996 को जलाकर राख कर देने के बाद का अवशेष।

अनुराग कश्यप/अभिषेक कश्यप : रमुआ एक गरीब किसान है, ईश्वर की कृपा से एक बीघा जमीन का मालिक है, जिसे जोतकर किसी तरह उसका गुजर बसर हो जाता है। उसका अपना घर भी है। चूंकि रमुआ रोटी के लिए कहीं और मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए उसका स्वाभिमान भी अटल है। अपने टोले के और लोगों की तरह उसे जमींदार के घर दरबार नहीं लगना पड़ता है। एक साल इंद्रदेव की नाराजगी से फसल खराब हो जाती है और रमुआ की हालत भी। बीज खाद के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाते हैं। मजबूर होकर वह साहूकार का दरवाजा खटखटाता है। सिर्फ 500 रुपये के एवज में साहूकार रमुआ की घर जमीन गिरवी रख लेते हैं। नयी फसल आने तक रमुआ पर साहूकार का 1100 रुपया कर्ज हो चुका है। 500 मूल के 600 रुपये सूद। 600 सूद के चुकाने के बाद 500 रुपये मूल के चुकाने की कोशिश करते रमुआ का जीवन बीत जाता है। उसे मरने के बाद उसका लड़का पिता का कर्ज उतारने लगता है। सूद की रकम लगातार दो वर्ष नहीं चुका पाने की स्थिति में वह बढ़कर इतनी हो जाती है कि रमुआ का खेत व घर साहूकार बेच कर पूरा करता है। रमुआ का लड़का अब दूसरे लोगों के खेतों में काम कर किसी तरह पेट भरने लगता है। रमुआ मरते समय जहां अपने लड़के पर 500 रुपये का कर्ज छोड़कर जाता है, रमुआ के लड़के के मरने के बाद उसके पोते के माथे पर वह भार 10500 रुपये का हो चुका होता है। 500 रुपये मूल, 10,000 रुपये सूद।

हालांकि उपरोक्त कहानी काल्पनिक है, किन्तु सामती शोषक व्यवस्था में अनगिनत परिवारों की कहानी रमुआ से बहुत हद तक मिलती जुलती है। भारत में सामंतवाद के सिलसिलेवार अध्ययन से यह बात उभरकर सामने आती है कि किस तरह छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए कर्ज लेना गरीबों को शोषित बनाने में कारगर साबित हुआ। ग्रामीण साहूकारी प्रथा में पुस्त दर पुस्त कर्ज की राशि बीस गुनी पच्चीस गुनी बढ़ती गयी है। आप भी कई जगहों पर ऐसी स्थिति मौजूद है और इस स्थिति का एकमात्र विकल्प यह है कि ग्रामीणों खासकर दबे कुचलों का अपना एक ऐसा कोष हो, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें छोटी बड़ी रकम मिल सके। इससे ग्रामीण साहूकारों व अन्य सूदखोरों के चंगुल से मुक्त रहें। इस दिशा में बिहार लोकशक्ति संगठन द्वारा किया गया प्रयास काफी हद तक सफल रहा है और धीरे-धीरे इसका प्रसार हो रहा है। राज्य के मधुबनी,

दरभंगा, सुपौल व सहरसा जिलों के लाखों लोगों के बीच आज लोकशक्ति संगठन का नाम नया नहीं रह गया है। राज्य के इन जिलों में बिना किसी लाल सलाम और लाल झंडे का नारा बुलंद किये जमीन से जुड़े गरीबों, दलितों, शोषितों को उनका मौलिक अधिकार दिलाने, इन लोगों में हक जताने की हिम्मत पैदा करने व अपने ऊपर हो रहे अन्याय जुल्म का प्रतिकार करने के लिए जगाया है। लोकशक्ति संगठन ने शोषितों को शोषकों के विरुद्ध जगाने का यह आंदोलन नक्सलगाड़ी जैसा हिंसात्मक नहीं है। और न ही लोकशक्ति संगठन सामंताद के खिलाफ एम सी सी व इससे संबद्ध नक्सली संगठनों की भांति भूमिगत हो मारने और मरने का खूनी खेल खेल रहा है। संगठन समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पिछड़े शोषितों का जीवन स्तर उठाने में विश्वास रखता है। संगठन के संचालक दीपक भारती कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर गरीबों को पूंजीपतियों के सामने हाथ पसारना पड़ता है। कई जरूरी मौकों पर हर हाल में हर शर्त पर पैसा लेने की विवशता ही शोषण संपन्न व्यवस्था की जननी है। संगठन के उपसंचालक दिगम्बर के अनुसार हमारा प्रयास स्थानीय संसाधनों व ग्राम कोष आंदोलन को और तेज करना है साथ ही हमारा पूरा प्रयास रहा है कि जे. पी. के आदेशों के अनुरूप पविर्तन हो। संगठन के संविधान में एक रुपये से अधिक चंदा नहीं लेने, सरकार की गलत नीतियों व भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करने, मानवीय हितों एवं स्थानीय संसाधनों के भरपूर उपयोग से गांवों का विकास करने की बात प्रमुख है।

संगठन शोषण अत्याचार के खिलाफ सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों में गतिशीलता लाने हेतु समय-समय पर मुद्दा आधारित कार्यक्रमों के तहत धरना, प्रदर्शन, घेराव आदि माध्यमों के जरिए लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करता है।

जनवरी 1992 में लोक शक्ति संगठन ने 20 गांवों में ग्राम कोष की स्थापना की थी। आज स्थापना काल से चार वर्षों से राज्य के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल तथा सहरसा जिले के नौ प्रखंडो के लगभग 200 गांवों में ग्राम कोष आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके अलावे दर्जनों और गांवों में भी ग्राम कोष की सुगबुगाहट नजर आ रही है। स्वतः स्फूर्त आन्दोलन के सहज तरीके एवं दूरगामी फायदे को देख सुन और महसूस कर मधुबनी के जिलाधिकारी एस शिवकुमार ने क्षेत्र के सभी डाकघरों एवं बैंको को अपने यहां ग्राम कोष खाता खोलने और इस अच्छे आंदोलन में सहयोग करने का निर्देश जारी किया है।

ग्राम कोष की अवधारणा साधारण है। इसमें प्रतिदिन 17 पैसे या एक मुट्ठी अनाज या प्रतिमाह पांच रुपये जमा करना पड़ता है। ग्रामीण अपने बीच की दो महिलाओं को चुनते हैं। ये महिलाएं संयुक्त रूप से कोष खाता का संचालन करती है और इन पर घर-घर जाकर कोष जमा करने का दायित्व रहता है। यह राशि नजदीक के डाकघरों या बैंकों में जमा रहती है।

यह वैकल्पिक ग्रामीण बैंक की भूमिका निभा रही है। हर जरूरी मौके पर कर्ज लेने के बाद एक निश्चित अवधि में दो प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा लौटाना पड़ता है जो इन ग्रामीणों के लिए मुश्किल नहीं होता। इस अनूठे आंदोलन के सूत्रधार व योजनाकर दीपक भारती ग्राम कोष की सफलता से काफी उत्साहित नजर आते हैं। इस बावत उनका अपना निजी अनुभव सोच के तहत संघर्ष करने का लंबा इतिहास भी रहा है। वे स्वयं भी गांवों के महाजनों की कभी खत्म

न होने वाली शोषण की कड़ी के शिकार रहे हैं। कर्ज में प्राप्त 70 रुपयों से चाय, मसाले एवं नील पैकेटों का पार्ट टाइम व्यापार करके उन्होंने महाजनों के सच को पहचाना था। गांव में जन्म लेने व पलने के कारण वे ग्रामीण क्षेत्रों की विसंगतियों को काफी नजदीक से देख सके। छात्र नेता, पत्रकार के बाद दीपक भारती का रूझान शोषणमुक्त व्यवस्था बनाने के ओर हुआ। दीपक भारती ने महसूस किया कि किस तरह महाजन और उसके विचौलिये गांवों के सरल जीवन को नरक में तब्दील करते हैं, किस तरह गरीब कर्ज के मकड़जाल में फंसकल उनके बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर होते हैं, किस तरह अपने बच्चों व महिलाओं के सामाजिक आर्थिक मानसिक, शारीरिक शोषण को भाग्य विधाता या प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा देते हैं। दीपक भारती ने माना कि इन सब गलत परंपराओं की जड़ में महाजनों से लिया जानेवाला कर्ज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में सुरसा की तरह बढ़ता है और विभिन्न तरह की गलत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पाखंडपूर्ण मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों को जन्म देता है। इन सब बातों के विश्लेषण के बाद वे ग्राम कोष की स्थापना के लिए मन बना पाये।

ग्राम कोष की स्थापना और सरजमीन पर इससे प्राप्त लाभ से संतुष्ट होने के प्रत्युत्तर में भारती जी कहते हैं कि इस आंदोलन को वे बिहार व देश स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग को संस्था कपार्ट ने इस योजना को सिद्धांतत: सराहा है।

मधुबनी जिले के मुसहर जाति के लोग सबसे पिछड़े हैं। वे पूरी तरह भूमिहीन व कृषि या प्रवासी मजदूरी पर आश्रित हैं। वे अकुशल और उत्पादक संसाधनों से वंचित है। यहां के 97 प्रतिशत मुसहर जाति के लोग व उनका परिवार कर्ज में कैद है। दीपक भारती के आंदोलन के बाद इन जाति के लोगों की बड़ी संख्या लोक शक्ति संगठन से जुड़ी है। गांव खैरी में ग्राम कोष का काम चलाने वाली तिलया देवी कहती है कि अब गांव के 55 मुसहर परिवार कोष में शामिल है। पहले भूस्वामी हमारा मजाक उड़ाते थे अब हमारी बात सुनते हैं। सोहराई ब्रहमोत्रा टोला की प्रिया देवी कहती हैं कि 'गांव के बड़े लोग हमेशा हम पर दबाव डालते थे। कर्ज के लिए चिरौरी करनी पड़ती थी। ग्राम कोष के कारण यह स्थिति नहीं नहीं। संगठन बनाकर जवाब दिया है हमने। अब बड़े लोगों के सामने हाथ नहीं पसारने पड़ते। ग्राम कोष के खाते पुरूष व महिला के संयुक्त नाम पर इसलिए हैं कि शराबखोरी जुए आदि के लिए कोष के दुरूपयोग पर महिला का नियंत्रण रहे। कोष का एक प्रभाव तो स्पष्ट नजर आया कि मुसहरों में सूदखोरी व बेगारी समाप्त हो रही है। पहले भूस्वामी व सूदखोरी 6 से 12 रुपये प्रति सैकड़ा सूद लेते थे।

हर अच्छे कामों से बुरे लोगों में खलबलाहट होती है। लोक शक्ति संगठन के इन कार्यों से भी उन लोगों में खलबली पैदा हो गयी हैं, जो इस व्यवस्था के पोषक हैं। लोकशक्ति संगठन व ग्राम कोष आंदोलन से जुड़े लोगों को समय-समय पर इन व्यवस्था के पोषकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। विगत 20 अप्रैल को लोक शक्ति संगठन के चंदों व श्रम सहयोग से निर्मित 137 फीट लंबे व 20 फीट चौड़े कार्यालय सह मिटिंग हाल में आग लगवा दिया गया, जिससे वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस संबंध में स्थानीय थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। संगठन के उपसंचालक दिगम्बर का मानना है, कि तटबंधों की राजनीति को खत्म करने के लिए हमने जो मुहिम चलायी है उसी की सजा हमें दी गयी हैं। लेकिन हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। ●

कमला नगर (दैयाखरवार) ग्राम कोष मधुबनी की खाताधारी सुकुमारी देवी, कुन्ती देवी

ग्राम कोष के लिए जिलाधिकारी का निर्देश

पत्रांक : 1538 दिनांक : 21 सितम्बर 94

प्रेषक : श्री एस. शिव कुमार
जिलाधिकारी, मधुबनी

सेवा में,

सभी शाखा प्रबंधक / सभी पोस्टमास्टर, सभी पोस्टऑफिस जिला-मधुबनी / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / कोआपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया / मधुबनी क्षेत्रीय बैंक/ इलाहाबाद बैंक / बैंक ऑफ इंडिया / पंजाब नेशनल बैंक ।

विषय : सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही झंझारपुर-आर.ए.एस. द्वारा संचालित ग्राम कोष हेतु दो महिला के नाम संयुक्त खाता खोलने के संबंध में ।

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडो के अन्तर्गत आरम्भ निर्भरता के दृष्टिकोण से ग्रामीणों का ग्राम कोष प्रत्येक टोला से दो महिला के नाम संयुक्त खाता खोलने का अभियान स्वयं सेवी संगठन सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही झंझारपुर-आर. एस. के द्वारा चलाया जा रहा है। तीन-चार प्रखंड के बहुत से गांवों में ग्राम कोष का खाता खुल चुका है। जिसकी सूची संलग्न की जा रही है। किन्तु बहुत से गांवों में ग्राम कोष अभी तक आरंभ नहीं की गयी है जबकि ग्रामीणों द्वारा जमा प्रत्येक दिन 17 नये पैसे अथवा एक मुट्ठी अनाज को इक्ट्ठा कर महीनों के अंत में कोष जमा की गयी है जिसकी भी कुछ गांवों की सूची फिलहाल तुरंत सलग्न है। इसके अलावे भी जिस गांवों की सूची संलग्न नहीं की जा रही है उस गांवों में भी संघन रूप से अभियान के तौर पर इसका विस्तार किया जा रहा है। मैंने संस्था के काम को देखा है जो बहुत ही अच्छा है।

अत: आप अपने बैंक/डाकघर में भी ग्रामीणों द्वारा प्रेषित दो महिला के नाम संयुक्त खाता खोलकर ग्रामीणों की आत्म निर्भर बनाने में सहयोग करें ।

संलग्न : ग्राम कोष की सूची कुल 10 (दस) पृष्ठों में ।

प्रतिलिपि : **दीपक भारती**
सचिव
एस.एस.भी.के. पथराही,
झंझारपुर-आर.एस. मधुबनी ।

भवदीय

ह०
जिलाधिकारी, मधुबनी

सूदखोरी को हटाएँगे

● *योगेन्द्र योगी*

आओ भाई बहनों बनाये संगठन
लोकशक्ति संगठन बिना अधूरे है हम
आओ भाई बहनों बनाये संगठन 2

संगठन बिना लूटते रहे हम
वर्षों से शोषित होते रहे हम
गाँव के सोये लोगों को जगायेगें हम
आओ भाई बहनों बनाये संगठन 2

शोषण करने का बनाया हैं फन्दा
धर्म के नाम पर बनाया तुझे अन्धा
सारे अन्धविश्वास को तोड़ेगें हम
आओ भाई बहनों बनाये संगठन 2

महीनो में पन्द्रह रूपये बचत हम करेगें
संगठन के साथ हम ग्राम कोष बनाएगें
सूदखोरी गाँव से हटायेगें हम
आओ भाई बहनों बनाये संगठन 2

भाई बहनों सब मिलकर संगठन बनायेगें
बहनों को भी बराबरी का सम्मान दिलायेगें
महिला बहनों के सहयोग बिना अधूरे है हम
आओ भाई बहनों बनाये संगठन 2

गाँव-गाँव को अपना परिवार बनायेगें
आपस के रगड़ा झगड़ा गाँव में ही निपटायेगें
थाना कचहरी को छोड़ेगें हम
आओ भाई बहनों बनाये संगठन 2

❖ ❖ ❖

जलांचल में ग्राम कोष आंदोलन

ग्राम कोष आन्दोलन क्या है इसे समझने के लिए उत्तर बिहार के जलांचल क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को समझना आवश्यक है। ग्राम कोष का उदय सरकारी गैरसरकारी बैंक के तरह लाभ कमाने के लिए नहीं हुआ है न ही यह कोई मात्र आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कोष है। ग्राम कोष अपने आप में एक आन्दोलन हैं। जीवन के वास्तविक उलझनों को सुलझाने के प्रयास में लोक शक्ति संगठन मधुबनी के संस्थापक दीपक भारती इसके प्रेरणा श्रोत रहे है। जलांचल की सामाजिक जड़ता को तोड़ने में ग्राम कोष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

करीब 550 ग्राम में ग्राम कोष की स्थापना ने समाज के अन्तिम सीढ़ी पर बैठे मुसहरों को अपनी दासता से मुक्ति का राह दिखाया है। ग्राम कोष ने जहां शोषितों को एकजुट किया है वहीं अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करने का एक मंच "ग्राम कोष" बना है। ग्राम कोष की विश्वसनीयता ने लोक शक्ति संगठन को फैलाव दिया है। इस तरह समाज के प्रत्येक क्षेत्र परिवर्तन का औजार ग्राम कोष बना है। ग्राम कोष लोक शक्ति संगठन का अपना स्वतंत्र प्रयोग है। ग्राम-कोष में जमा राशि पर व्यक्ति का नहीं समुदाय का स्वामित्व है ।